



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092024-257199
CG-DL-E-17092024-257199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]
No. 725]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2024/भाद्र 26, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024/BHADRA 26, 1946

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024

(2024 का सं. 08)

सं. सीसीआई/विनियम-साधारण विनियम/08/2024-25.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
- (ख) “अधिवक्ता” से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित कोई अधिवक्ता अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
- (ङ) “परामर्शी” से अधिनियम की धारा 35 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कोई विधि व्यवसायी या सनदी लेखाकार या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार अभिप्रेत है;
- (च) “महानिदेशक” से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम की उस धारा के अधीन नियुक्त कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक सम्मिलित है;
- (छ) “इलेक्ट्रॉनिक रूप” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2(1)(घ) में है;
- (ज) “विशेषज्ञ” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता करने के लिए नियोजित कोई विशेषज्ञ या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन किसी जांच या कार्यवाही में आयोग की सहायता के लिए बुलाया गया कोई विशेषज्ञ अभिप्रेत है;
- (झ) “अंतर्वर्ती आवेदन” से आयोग के कोई आदेश या निदेश की अनुपालना में की गई प्रस्तुतियों के सिवाय, अधिनियम की धारा 19 के अधीन संस्थित मामले या प्रकीर्ण आवेदन के अनुसरण में आरंभ की गई कार्यवाहियों के अनिर्णीत रहने के दौरान आयोग के समक्ष में फाइल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;
- (ञ) “मीडिया” में समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएं, जर्नल, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन और इंटरनेट सम्मिलित है;
- (ट) “प्रकीर्ण आवेदन” से आयोग के कोई आदेश या निदेश की अनुपालना में की गई प्रस्तुतियों के सिवाय, अधिनियम की धारा 19 के अधीन संस्थित मामले में अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;
- (ठ) “सामान्य बैठक” का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009 में है;
- (ड) “प्रतिनिर्देश” से कोई निम्नलिखित प्रतिनिर्देश अभिप्रेत है—
- (i) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या
 - (ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन किसी कानूनी प्राधिकारी से आयोग को राय के लिए प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या
 - (iii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन आयोग द्वारा किसी कानूनी प्राधिकारी को राय के लिए भेजा गया कोई प्रतिनिर्देश, या
 - (iv) अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से राय के लिए आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश।

(ढ) “सचिव” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और इसमें सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग का कोई प्राधिकारी सम्मिलित है;

(ण) “अधिकरण” से अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(त) आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय के “कार्यदिवस” से ऐसा दिवस अभिप्रेत है, जिसको वह कृत्य करता है किंतु इसमें शनिवार या रविवार या ऐसा कोई अन्य दिवस सम्मिलित नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नई दिल्ली के लिए या ऐसे किसी अन्य स्थान के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

3. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति.

ऐसी किसी परिस्थिति में, जिसके लिए इन विनियमों में उपबंध नहीं किया गया है, आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी विशिष्ट मामले में प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

4. मुद्रा और प्रतीक.

आयोग की शासकीय मुद्रा और प्रतीक इसके साथ अनुलग्नक में उपदर्शित आलेख के अनुसार होंगे।

5. आयोग की भाषा.

आयोग की भाषा अंग्रेजी होगी।

6. हिंदी में दस्तावेजों को फाइल करना.

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार यदि वे ऐसी वांछा करते हैं तो दस्तावेज हिंदी में फाइल कर सकेंगे:

परंतु उनसे संबंधित कोई भी सूचना, प्रतिनिर्देश या आवेदन या अन्य पत्र अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके साथ विनियम 7 में यथाविहित अनुसार, उनकी अंग्रेजी में सत्य अनुवाद की एक प्रति न लगी हो।

7. दस्तावेजों का अनुवाद.

अंग्रेजी में अनुदित दस्तावेज को आयोग द्वारा सही अनुवाद के रूप में प्रतिग्रहीत किया जाएगा यदि:

- (क) पक्षकार का परामर्शी, अनुवाद का सत्य अनुवाद होना प्रमाणित करता है; या
- (ख) अनुवाद, किसी न्यायालय के शासकीय अनुवादक द्वारा किया जाता है; या
- (ग) अनुवाद, ऐसे किसी प्राधिकारी/निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार के शासकीय अनुवादक द्वारा किया जाता है जो न्यायालयों द्वारा सत्य अनुवाद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है:

परंतु यह कि उपयुक्त मामलों में ऐसा कोई अनुवाद, जिस पर कार्यवाहियों के सभी पक्षकार सहमत हैं, आयोग द्वारा सत्य अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

8. आयोग द्वारा मनाए जाने वाले अवकाश.

- (1) आयोग का प्रधान कार्यालय, शनिवार और रविवार के अलावा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन घोषित अवकाशों को भी मनाएगा।
- (2) दिल्ली से भिन्न स्थानों पर स्थित आयोग को कोई अन्य कार्यालय, शनिवार और रविवार के अलावा उस स्थान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन घोषित अवकाशों को भी मनाएगा।

9. समय की संगणना.

- (1) जहां किसी कार्रवाई को करने या कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए इन विनियमों के द्वारा या अधीन किसी कार्य या घटना के लिए किसी दिवस से किसी कालावधि की गणना करना विहित या अनुज्ञात किया गया है, वहां वह समय, उक्त दिन या ऐसे कार्य या घटना, जिससे वह समय प्रारंभ होना है, को छोड़कर संगणित किया जाएगा।
- (2) जहां इन विनियमों के अधीन किसी कार्रवाई को करने या कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कोई समय विहित या अनुज्ञात किया गया है और वह समय शनिवार या रविवार या किसी ऐसे दिवस को समाप्त हो रहा है, जिस दिन आयोग का कार्यालय बंद है, वहां ऐसी कार्रवाई को या ऐसी कार्यवाही को शनिवार, रविवार या कार्यालय बंद रहने के दिवस के पश्चात् अगले प्रथम कार्यदिवस को प्रारंभ किया जा सकेगा।

10. सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु.

- (1) अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई सूचना या प्रतिनिर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ, पृथक और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित क्रमबद्ध कथन होगा-
 - (क) सूचना या प्रतिनिर्देश को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम;
 - (ख) आयोग द्वारा समनों या सूचनाओं के प्रेषण के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड सहित भारत में पूर्ण डाक पता;
 - (ग) संपर्क का ब्यौरा (टेलिफोन नं., मोबाइल नं. जिसके अंतर्गत देश/नगर/क्षेत्र का कोड, इलेक्ट्रॉनिक मेल पता भी हैं);
 - (घ) परामर्शी या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, का विधिक नाम और पता; और
 - (ङ) ऐसे उद्यम(उद्यमों) का, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, विधिक नाम और पता(पते)।
- (2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे –
 - (क) घटनाओं के उसके समय के अनुसार तथ्यों का संक्षिप्त कथन;
 - (ख) अधिनियम के अभिकथित उल्लंघन के ब्यौरे, प्रत्येक अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले, यथास्थिति, सभी दस्तावेजों, शपथपत्रों और साक्ष्यों को सूचीबद्ध करने वाली सूची सहित;
 - (ग) वह तारीख जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ;
 - (घ) अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में संक्षिप्त वर्णन;

- (ड) क्या यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश में समुत्थापित वही या सारतः वही तथ्य और मुद्दे, आयोग द्वारा अपने किसी पूर्व आदेश(आदेशों) में पहले ही विनिश्चित किए जा चुके हैं, तत्संबंधी ब्यौरे सहित;
- (च) मांगा गया अनुतोष, यदि कोई हो;
- (छ) सूचना की विषय-वस्तु के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण, कानूनी प्राधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष सूचना देने वाले और पक्षकारों के बीच अनिर्णीत मुकदमेबाजी या विवाद, यदि कोई हो, के ब्यौरे; और
- (ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आयोग को अपेक्षित हों।
- (3) यदि उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या प्रतिनिर्देश, उस तारीख, जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ था, से तीन वर्ष के पश्चात् फाइल किया जाता है, तो उसके साथ विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्शाते हुए विलंब की माफी मांगने वाला अंतर्वर्ती आवेदन, इन विनियमों के विनियम 50 के उपविनियम (2) के निबंधनों के अनुसार लागू शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (4) उपविनियम (1) और (2) के अधीन उल्लिखित सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु, उनके परिशिष्ट और संलग्नक सहित, उपविनियम (3) के अधीन आवेदन के साथ पूर्ण होगी और उन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी अंतर्वस्तु का सम्यक रूप से सत्यापन करने वाले शपथपत्र के साथ सम्यक रूप से समर्थित होगी।

11. सूचना या प्रतिनिर्देश पर हस्ताक्षर.

- (1) कोई सूचना या प्रतिनिर्देश या आयोग द्वारा जारी किसी सूचना या निदेश का कोई उत्तर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा -
- (क) स्वयं व्यक्ति द्वारा, जिसमें किसी प्रोपराइटरी फर्म का एकमात्र प्रोपराइटर सम्मिलित है;
- (ख) किसी हिन्दु अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) की दशा में कर्ता;
- (ग) किसी कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक, निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक या कोई कर्मचारी;
- (घ) किसी संगम या सोसाइटी या उसी प्रकार के किसी निकाय की दशा में अध्यक्ष या सचिव या उस विधिक लिखत, जिसके द्वारा संगम या सोसाइटी या निकाय का सृजन किया गया था, इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- (ड) किसी भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या भागीदारी फार्म द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई कर्मचारी;
- (च) किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत तत्संबंधी कोई कर्मचारी/अधिकारी;
- (छ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में वह व्यक्ति या उसकी ओर से कार्यवाई करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।
- (2) कोई प्रतिनिर्देश, यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से या कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त होता है तो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कानूनी प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित नहीं किया जाएगा।
- (3) इन विनियमों के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परामर्शी भी, यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश पर अपने हस्ताक्षर कर सकेगा/सकेगी।

12. सूचना या प्रतिनिर्देश फाइल करने की प्रक्रिया.

- (1) सूचना या प्रतिनिर्देश या आयोग को उनके प्रत्युत्तर को सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्वयं व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या सचिव या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के नाम से रजिस्ट्रीकृत डाक या कुरियर सेवा या फैक्सीमाइल प्रेषण द्वारा भेजा जाएगा।
- (2) ऐसे किन्हीं पृथक या अतिरिक्त दस्तावेज(दस्तावेजों), जिन्हें सूचना देने वाला, यथास्थिति, अपनी सूचना या प्रतिनिर्देश के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है, को यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश फाइल करने के 14 (चौदह) दिवसों के भीतर "पुस्तिका" रूप में फाइल करेगा। ऐसे दस्तावेजों को क्रम संख्यांकित किया जाएगा और उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी और वे उन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी अंतर्वस्तु का सम्यक रूप से सत्यापन करने वाले शपथपत्र के साथ सम्यक रूप से समर्थित होगी।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन डाक या कुरियर सेवा या फैक्सीमाइल प्रेषण द्वारा भेजी गई सूचना या प्रतिनिर्देश को उस तारीख को सचिव या सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, जिसको वह, यथास्थिति, सचिव या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होता है।

13. सूचना या प्रतिनिर्देश को इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने की प्रक्रिया.

विनियम 10 और 11 के अधीन रहते हुए, आयोग को कोई सूचना या प्रतिनिर्देश किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा आयोग के सचिव को इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेज जा सकेगा, जो जब कभी आयोग द्वारा किसी लोक सूचना के माध्यम से वांछा की जाए, अभिदायी के अंकीय हस्ताक्षर और/ या इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होगी:

व्याख्या – इस विनियम के प्रयोजन के लिए,—

- (क) "अंकीय हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) के अधीन यथापरिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है;
- (ख) किसी सूचना या दस्तावेज के प्रतिनिर्देश से "इलैक्ट्रॉनिक रूप" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन यथापरिभाषित इलैक्ट्रॉनिक रूप अभिप्रेत है;
- (ग) "इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (नक) के अधीन यथापरिभाषित इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अभिप्रेत है;
- (घ) "अभिदायी" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यछ) के अधीन यथापरिभाषित अभिदायी अभिप्रेत है।

14. और प्रस्तुतीकरण फाइल करना.

सभी और प्रस्तुतीकरणों जिसके अंतर्गत कोई पक्षकार द्वारा फाइल किए गए उत्तर, पत्र, दस्तावेज, आवेदन, आक्षेप या सुझाव आदि भी हैं, पर फाइल करने और हस्ताक्षर करने के संबंध में इन विनियमों के निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:

- (क) विनियमन 10 के उपविनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग);
- (ख) विनियमन 10 का उपविनियम (4);
- (ग) विनियमन 11 का उपविनियम (1);
- (घ) विनियमन 11 का उपविनियम (3);

(ड) विनियमन 12 का उपविनियम (1);

(च) विनियमन 12 का उपविनियम (3); और

(छ) विनियमन 13:

परंतु यह कि उपरोक्त खंड (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट उपबंध, किसी पक्षकार द्वारा फाइल किए गए समय विस्तारण और/या स्थगन की मांग करने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होंगे।

15. सचिव की शक्तियां और कृत्य.

- (1) आयोग के अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
- (2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009 के अधीन रहते हुए, सचिव सभी संबंधित व्यक्तियों को अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान का परिचालन करेगा।
- (3) सचिव निम्नलिखित के लिए आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होगा, –

(क) सभी कानूनी संसूचनाओं को देने या प्राप्त करने:

परंतु यह कि अध्यक्ष, प्रयोजन के लिए आयोग के अन्य अधिकारी को भी प्राधिकृत कर सकेगा।

- (ख) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी औपचारिक संबंध को बनाने, जिसके अंतर्गत किसी विदेशी प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण या अन्य अभिकरण के साथ किसी ज्ञापन या इंतजाम पर हस्ताक्षर करना भी है।
- (ग) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग के पूर्व अनुमोदन से किसी औपचारिक संबंध को बनाने, जिसके अंतर्गत कानूनी प्राधिकरण या सरकार के विभाग के साथ किसी ज्ञापन या इंतजाम पर हस्ताक्षर करना भी है।
- (4) आयोग सचिव के नाम से कोई वाद कर सकेगा या उसपर कोई वाद किया जा सकेगा और आयोग का सभी कार्यवाहियों में, जिसके अंतर्गत अधिकरण के समक्ष अपीलें भी हैं, सचिव के नाम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
- (5) अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सचिव अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति के सदस्यों की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करेगा, –

(क) आयोग के वार्षिक बजट को तैयार करने और उसका अनुमोदन कराने;

(ख) प्रतिस्पर्धा निधि के प्रशासन।

- (6) सचिव आयोग की शासकीय मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। आयोग की शासकीय मुद्रा को सचिव के लिखित प्राधिकार के अधीन और उसके सिवाय किसी भी दस्तावेज, जिसके अंतर्गत आयोग के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी हैं, पर नहीं लगाया जाएगा।
- (7) उपविनियम (1) के अधीन रहते हुए, आयोग के समक्ष लाए गए विषयों का समयपूर्वक और दक्ष निपटान सुनिश्चित करने तथा अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सचिव के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्य करेगा, –

(क) सभी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों को प्राप्त, पृष्ठांकित और प्रवर्गीकृत करना;

- (ख) जहां कहीं लागू हो, प्राप्त फीस की राशि की जांच करना और उसे समय पर आयोग के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करना;
- (ग) इस प्रकार प्राप्त सभी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों की यह पता लगाने के लिए संवीक्षा करना कि क्या वे नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं;
- (घ) ऐसी सूचना(सूचनाओं), प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों की त्रुटियों को इंगित करना और पक्षकारों से ऐसी त्रुटियों को सुधारने की अपेक्षा करना;
- (ङ) ऐसी सूचना, प्रतिनिर्देश, आवेदन या दस्तावेज की प्रति को उनके संलग्नकों के साथ संबंधित पक्षकारों, जिसके अंतर्गत महानिदेशक भी हैं, पर युक्तियुक्त समय के भीतर तामील करना;
- (च) सूचना या प्रतिनिर्देश या दस्तावेज पर, यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, विचार करने के लिए आयोग की सामान्य बैठक की तारीख की सूचना की तामील करना और महानिदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति और उस पर विचार करने के पश्चात् अन्वेषण या जांच की सूचना जारी करने संबंधी आयोग के निदेशों को संप्रेषित करना;
- (छ) किसी पक्षकार की मृत्यु या किसी पक्षकार को दिवालिया अधिनिर्णीत किए जाने की दशा में, कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा आवेदन किए जाने पर निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना ;
- (ज) सूचना या अन्य आदेशिका की तामील को सत्यापित करना और यह सुनिश्चित करना कि पक्षकारों को समुचित रूप से तामील की गई है;
- (झ) आयोग के निदेश पर किसी अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना;
- (ञ) आयोग के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना;
- (ट) आयोग के आदेश पर किसी पक्षकार या प्राधिकरण द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों को वापस करना;
- (ठ) आयोग के आदेशों को प्रमाणित करना और उनकी प्रतियां पक्षकारों को जारी करना;
- (ड) इन विनियमों के अनुसार कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को प्रदान करना;
- (ढ) इन विनियमों के अनुसार, प्रकाशन के लिए आयोग के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना;
- (ण) सूचनाओं या अन्य संबंधित आदेशिकाओं की तामील, नई सूचना जारी करने के लिए या समय के विस्तारण के लिए आवेदनों या किसी पक्षकार पर किसी विशिष्ट पद्धति से तामील करने का आदेश देने, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा सूचना का प्रकाशन या इसे वेबसाइट पर रखना भी है, से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना;
- (त) किसी सामान्य बैठक के दौरान किसी कार्यवाही के अभिलेख का संकलन करना और उसे सुरक्षित रखना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है: -
- (i) घटनाओं को उनके समय के अनुसार सूचीबद्ध करना;
 - (ii) दस्तावेजों को प्रारंभ करना;

- (iii) बैठक की सूचना;
 - (iv) महानिदेशक की रिपोर्ट, यदि कोई हो;
 - (v) विशेषज्ञ की राय, यदि कोई हो;
 - (vi) किया गया कोई अंतरिम आदेश;
 - (vii) फाइल किए गए सभी दस्तावेजी साक्ष्य;
 - (viii) दिए गए मौखिक साक्ष्य की प्रतिलिपि, यदि कोई हो;
 - (ix) आयोग के अंतिम आदेश या निर्णय;
- (थ) अधिनियम की धारा 57 के अधीन रहते हुए जानकारी प्रकट करना;
- (द) इन विनियमों के अनुसार दस्तावेजों या साक्ष्यों या विवरणों या किसी विश्लेषण की गोपनीयता को, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर सुनिश्चित करना;
- (ध) प्रवृत्त प्रतिधारिता अनुसूची और अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभिलेखों का अनुरक्षण प्रारंभ करना, जिसके अंतर्गत अभिलेखों का व्ययन करना भी है;
- (न) यदि आयोग ऐसा निदेश दे तो अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष शिकायत फाइल करना।

16. सूचना या प्रतिनिर्देश की संवीक्षा की प्रक्रिया.

- (1) आयोग में प्राप्त प्रत्येक सूचना या प्रतिनिर्देश की सचिव द्वारा यह जांच करने के लिए संवीक्षा की जाएगी कि क्या वे इन विनियमों के अनुरूप हैं और त्रुटियों, यदि कोई हों, को युक्तियुक्त समय, जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, के भीतर पक्षकार को संसूचित किया जाएगा, -
 - (क) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की दशा में 15 (पंद्रह) दिवस; या
 - (ख) अधिनियम की धारा 21 या धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त किसी प्रतिनिर्देश की दशा में 7 (सात) दिवस।
- (2) यथास्थिति, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना देने वाला या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कानूनी प्राधिकरण, उपविनियम (1) के अधीन त्रुटियों की संसूचना की प्राप्ति पर यथासंभवशीघ्र, निम्नलिखित कालावधि के भीतर त्रुटियों को दूर करेगा: -
 - (क) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की दशा में संसूचना की प्राप्ति से 30 (तीस) दिवस; या
 - (ख) अधिनियम की धारा 21 या धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की दशा में संसूचना की प्राप्ति से 15 (पंद्रह) दिवस।
- (3) उस दशा में, जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकार द्वारा उपविनियम (2) के उपबंधों के अनुसार त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, वहां सूचना या प्रतिनिर्देश को अविधिमान्य माना जाएगा:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकार लागू फीस के साथ आयोग द्वारा विचार किए जाने के लिए नई सूचना, प्रतिनिर्देश या आवेदन फाइल करने का हकदार होगा।

- (4) उपविनियम (3) के अधीन किसी सूचना को अविधिमान्य माने जाने की दशा में ऐसी सूचना पर संदत्त फीस को जब्त कर लिया जाएगा।
- (5) इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बात, आयोग को ऐसी किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु को, अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के किसी संभाव्य उल्लंघन हेतु जांच के लिए ऐसी रीति में उपयोग करने से निवारित नहीं करेगी जिसे वह उचित समझे:

परंतु यह कि ऐसे प्रतिनिर्देशों में त्रुटियों को दूर करने में लगने वाले समय को अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 21 की उपधारा (2) या धारा 49 की उपधारा (1) में आयोग द्वारा राय देने के लिए उपबंधित 60 (साठ) दिवस की कालावधि की संगणना में गिनती में नहीं लिया जाएगा।

- (6) किसी मामले में फाइल किया गया प्रत्येक अंतर्वर्ती या प्रकीर्ण आवेदन रजिस्ट्रीकृत और क्रमांकित किया जाएगा। ऐसे सभी आवेदनों की 7 (सात) दिवसों के भीतर संवीक्षा की जाएगी और त्रुटियां, यदि कोई हो, पक्षकार को संसूचित की जाएंगी। आवेदन करने वाला पक्षकार त्रुटियों को दूर करेगा और संसूचना प्राप्ति से 7 (सात) दिवसों के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर आवेदन को अविधिमान्य माना जाएगा।

17. प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान होने संबंधी राय.

- (1) सचिव, यथास्थिति, किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की संवीक्षा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के निवारण के पश्चात्, उसे आयोग के समक्ष रखेगा ताकि वह किसी प्रथम दृष्टया मामले की विद्यमानता के संबंध में अपनी राय रख सके।
- (2) अभिकथित प्रति – प्रतिस्पर्धा करारों और/या प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग के मामलों में आयोग, यथाशक्य रूप से 60 (साठ) दिवसों के भीतर प्रथम दृष्टया मामले की विद्यमानता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करेगा।
- (3) आयोग, यथासंभवशीघ्र, यह विचार करने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, सचिव द्वारा उपविनियम (1) के अधीन उसके समक्ष मामला रखे जाने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिवसों के भीतर अपनी पहली सामान्य बैठक आयोजित करेगा।

18. प्रारंभिक सम्मेलन.

- (1) आयोग, यदि यह आवश्यक समझे, तो इस संबंध में अपनी राय बनाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया विद्यमान है, प्रारंभिक सम्मेलन बुला सकेगा।
- (2) आयोग, प्रारंभिक सम्मेलन के लिए, सूचना देने वाले और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो आवश्यक हों, को आमंत्रित कर सकेगा।
- (3) प्रारंभिक सम्मेलन की प्रक्रिया के औपचारिक नियमों को अपनाया जाना आवश्यक नहीं है।

19. प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में अन्वेषण कराने के लिए निदेश जारी करना.

- (1) जहां आयोग की यह राय है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, वहां सचिव, महानिदेशक को 7 (सात) दिवसों के भीतर, आयोग के मामले का अन्वेषण करने के निदेशों की संसूचना देगा।
- (2) महानिदेशक को अन्वेषण करने के लिए निदेश के संबंध में यह माना जाएगा कि अधिनियम की धारा 26 के अधीन कोई जांच प्रारंभ की गई है।

- (3) जहां आयोग कोई राय बना लेता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) या अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, वहां सचिव, संबंधित पक्षकारों को आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति, उन पर तामील कराते हुए 7 (सात) दिवसों के भीतर आयोग के निदेशों को भी संप्रेषित करेगा।

20. अधिनियम की धारा 26(2) या 26(2क) के अधीन पारित आदेश की संसूचना.

- (1) यदि आयोग की यह राय है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान नहीं है, वहां सचिव, आयोग अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को तत्क्षण मामले को बंद करने के संबंध में आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति भेजेगा।
- (2) यदि आयोग की यह राय है कि आयोग में प्राप्त, यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश में समुत्थापित वही या सारतः वही तथ्य और मुद्दे, आयोग द्वारा अपने किसी पूर्व आदेश(आदेशों) में पहले ही विनिश्चित किए जा चुके हैं, वहां सचिव, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को तत्क्षण, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2क) के अधीन मामले को बंद करने के संबंध में आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति भेजेगा।

21. महानिदेशक द्वारा अन्वेषण.

- (1) सचिव, विनियम 19 के अधीन आयोग के निदेशों को संप्रेषित करते समय, यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश की, अन्य सभी दस्तावेजों या सामग्रियों या शपथपत्रों या कथनों के साथ, जिन्हें किसी पक्षकार द्वारा उक्त सूचना या प्रतिनिर्देश के साथ या उसके पश्चात् या प्रारंभिक सम्मेलन के समय महानिदेशक को फाइल किया गया है, प्रति भेजेगा।
- (2) आयोग, महानिदेशक को, आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देगा जो साधारणतया आयोग के निदेशों की प्राप्ति की तारीख से 90 (नब्बे) दिवसों से अनधिक होगा।
- (3) आयोग, महानिदेशक द्वारा पर्याप्त कारण देते हुए आवेदन किए जाने पर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऐसी कालावधि विस्तारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त समझे।
- (4) महानिदेशक की रिपोर्ट में, उसके निष्कर्ष और साथ ही सभी साक्ष्य या दस्तावेज या कथन या अन्वेषण रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण अंतर्विष्ट होंगे:

परंतु यह कि महानिदेशक, आयोग को, रिपोर्ट के साथ, अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्य या दस्तावेज या कथन या विश्लेषण भी भेजेगा जिसे मामले का अभिलेख कहा जाएगा:

परंतु यह और कि जब आवश्यक समझा जाए, महानिदेशक, गोपनीयता रखते हुए, अपनी रिपोर्ट और मामले का अभिलेख, दो भागों में प्रस्तुत कर सकेगा। एक भाग में वे दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे जिन तक पक्षकारों को पहुंच प्रदान की गई है और दूसरे भाग में ऐसी गोपनीय सूचना और दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे जिन तक पहुंच आंशिक रूप से या पूर्णतया निर्बंधित है।

- (5) महानिदेशक, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, पीडीएफ फॉर्मेट में एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट की पांच प्रतियां सचिव को अग्रेषित करेगा:

परंतु यह कि सचिव जब कभी अपेक्षित हो, और अधिक प्रतियों के लिए अनुरोध कर सकेगा।

- (6) यदि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग की यह राय है कि आगे और अन्वेषण करना आवश्यक है तो वह, महानिदेशक को ऐसा और अन्वेषण करने और आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर किंतु

साधारणतया 60 (साठ) दिवसों के अपश्चात्, विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

22. अधिनियम की धारा 26 के अधीन जांच की प्रक्रिया.

- (1) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार महानिदेशक से अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव, उसे 04 (चार) सप्ताह की कालावधि के भीतर आयोग के विचार के लिए रखेगा।
- (2) आयोग, उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त महानिदेशक की अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, या तो:
 - (i) सचिव को निदेश दे सकेगा कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को, रिपोर्ट की प्राप्ति से 08 (आठ) सप्ताह की कालावधि के भीतर, उसमें आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ की भौतिक या इलैक्ट्रानिक प्रति अग्रेषित करे; या
 - (ii) आदेश दे सकेगा कि महानिदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3क) के निबंधनों के अनुसार, मामले में और अन्वेषण किया जाए; या
 - (iii) मामले में आगे ऐसी जांच करा सकेगा या स्वयं आगे ऐसी जांच कर सकेगा जो आयोग उचित समझे।
- (3) आयोग, महानिदेशक की अन्वेषण रिपोर्ट को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को उसमें आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए अग्रेषित करने का निदेश देते समय, संबंधित पक्षकारों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आवर्त या आय का अवधारण) विनियम, 2024 और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र का अवधारण) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2024 के अनुसार, अपनी वित्तीय जानकारी, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण भी है, फाइल करने का भी निदेश दे सकेगा।
- (4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों से उपविनियम (2) के अधीन आक्षेप या सुझाव प्राप्त होने पर, आयोग या तो:
 - (i) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन मामले को बंद करने का अंतिम आदेश या अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा; या
 - (ii) आदेश दे सकेगा कि महानिदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) के निबंधनों के अनुसार, मामले में और अन्वेषण किया जाए; या
 - (iii) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) या (8) के निबंधनों के अनुसार, मामले में और जांच करा सकेगा या स्वयं आगे जांच कर सकेगा।
- (5) महानिदेशक से पूरक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव, उसे 04 (चार) सप्ताह की कालावधि के भीतर आयोग के विचार के लिए रखेगा।
- (6) आयोग, उपविनियम (5) के अधीन प्राप्त महानिदेशक की पूरक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, या तो:
 - (i) सचिव को निदेश दे सकेगा कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को, रिपोर्ट की प्राप्ति से 08 (आठ) सप्ताह की कालावधि के भीतर, उसमें आक्षेप या

सुझाव, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ की भौतिक या इलैक्ट्रानिक प्रति अग्रेषित करे; या

- (ii) मामले में आगे और जांच करा सकेगा या स्वयं आगे ऐसी जांच कर सकेगा जो आयोग उचित समझे।
- (7) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों से, पूरक अन्वेषण रिपोर्ट पर, उपविनियम (6) के अधीन आक्षेप या सुझाव प्राप्त होने पर, आयोग या तो:
 - (i) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन मामले को बंद करने का अंतिम आदेश या अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा; या
 - (ii) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) या (8) के निबंधनों के अनुसार, मामले में और जांच करा सकेगा या स्वयं आगे जांच कर सकेगा।
- (8) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) या (8) के निबंधनों अनुसार आगे की जांच पूर्ण होने पर, आयोग, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन मामले को बंद करने के लिए अंतिम आदेश पारित कर सकेगा या धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा, जिसके पूर्व वह, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को, अभिकथित उल्लंघन के होने और सूचना का प्रत्युत्तर देने की कालावधि उपदर्शित करते हुए कारण बताओ सूचना जारी करेगा।
- (9) संबंधित पक्षकारों से उपविनियम (8) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना का उत्तर प्राप्त होने पर, और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आयोग, मामले को बंद करने का अंतिम आदेश या अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा।
- (10) सचिव, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को आयोग द्वारा पारित अंतिम आदेशों को, तत्संबंधी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए संप्रेषित करेगा।
- (11) आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उसे इस विनियम के अधीन आगे जांच करने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति को उचित ठहराते हुए दी गई रिपोर्ट पर, आयोग किसी व्यक्ति को, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या उद्यम द्वारा किए जा रहे किसी व्यापार के संबंध में ऐसी विनिर्दिष्ट पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निदेश देगा:

स्पष्टीकरण – इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए, “अधिकारी” पद में अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) या धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित विशेषज्ञ और वृत्तिक सम्मिलित होंगे।
- (12) सचिव आयोग की बैठकों की सूचना महानिदेशक को देगा, ताकि वह अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार स्वयं या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सके।

23. सूचना तामील करने की पद्धति, आदि.

- (1) इन विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील करने या परिदत्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाएगा या इलैक्ट्रानिक मेल पते पर या रजिस्ट्रीकृत डाक या द्रुत डाक या कुरियर सेवा द्वारा उस व्यक्ति द्वारा तामील के लिए प्रस्तुत उसके पते पर या ऐसे स्थान पर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए पते पर भेजा जा सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या कारबार या व्यवसाय करता है या अभिलाभ के लिए संकर्म करता है:

परंतु यह कि उस व्यक्ति, जिसने पता या इलैक्ट्रानिक मेल पता या प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा दिया प्रस्तुत किया है, का कर्तव्य होगा कि वह उसे समय-समय पर, जब भी आवश्यक हो, आयोग के अभिलेखों में उसका अद्यतन करे, अन्यथा अभिलेख पर उपलब्ध पते या इलैक्ट्रानिक मेल पते पर की गई तामील पर्याप्त होगी।

- (2) डाक या कुरियर कर्मचारी द्वारा इस संबंध में किया गया पृष्ठांकन कि प्राप्तिकर्ता या उसके अभिकर्ता ने सूचना को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, को लेने से इन्कार द्वारा तामील का सबूत माना जाएगा।
- (3) यदि कोई इलैक्ट्रानिक मेल, अन्य पक्षकारों की प्रणाली द्वारा पढ़े जाने योग्य रूप में, उचित रूप से प्राप्तिकर्ता को संबोधित या निदेशित है, जब वह प्रेषक के नियंत्रण से बाहर होता है और ऐसे संदेशों को प्राप्त करने के लिए प्राप्तिकर्ता की सूचना प्रक्रमण प्रणाली में प्रवेश करता है, चाहे प्राप्तिकर्ता द्वारा उसे खोला न गया हो या देखा न गया हो तो उसे परिदत्त माना जाएगा।
- (4) उस दशा में, जहां डाक या कुरियर कर्मचारी यह रिपोर्ट देता है कि प्राप्तिकर्ता ने दिए गए पते पर रहना बंद कर दिया है या वह उपलब्ध नहीं है, वहां आयोग उसे प्रस्तुत जानकारी का अवलंब लेते हुए ऐसा मत बना सकेगा जो उसे उपयुक्त लगे और प्रतिस्थापित तामील के लिए उपाय करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।
- (5) जहां समनों या सूचना पर उचित रूप से पता लिखा गया था, पूर्व संदाय किया गया था और अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रकृत डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया था और अभिस्वीकृति खो गई है या गलत प्रस्तुत कर दी गई है या किसी अन्य कारण से समन जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर आयोग को प्राप्त नहीं हुई है वहां आयोग इसे पर्याप्त तामील मानेगा और तदनुसार घोषणा करेगा।
- (6) जहां ऊपर निर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा सूचना की तामील संभव नहीं है और जहां प्राप्तिकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता, वहां तामील को ऐसे गृह के, जिसमें प्राप्तिकर्ता सामान्यतः निवास करता है, किसी प्रमुख भाग पर समन या सूचना की प्रति को चिपकाकर किया जाएगा और ऐसी तामील को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 20 के आदेश V को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना जाएगा।
- (7) जहां आयोग का यह समाधान हो जाता है कि सूचना का प्राप्तिकर्ता तामील से बचने की चेष्टा कर रहा है या किसी अन्य कारण से सूचना की तामील सामान्य ढंग से नहीं की जा सकती है, वहां वह ऐसे अवस्थान में, जहां प्राप्तिकर्ता अंतिम ज्ञात रूप से निवास करता था, परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तामील करने का आदेश देगा।

24. आयोग के समक्ष फाइल करना.

- (1) सभी सूचनाएं या प्रतिनिर्देश या उनके प्रत्युत्तर या ऐसे अन्य दस्तावेज, जिन्हें आयोग के समक्ष फाइल करना अपेक्षित है, ए4 आकार (210 x 297 मिमी या 8.27" x 11.69") के सफेद बांड पृष्ठ पर एरियल 12 के फॉन्ट में डबल स्पेस और बाईं ओर दो इंच का और अन्य सभी ओर से एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए केवल दोनों ओर टंकित किए जाएंगे:

परंतु यह कि किसी व्यक्ति के पत्रशीर्ष (लैटर हैड) पर किए जाने वाले फाइलिंग की अनुज्ञा नहीं होगी।

- (2) प्रदर्शों या अनुलग्नकों के रूप में केवल स्पष्ट और सुपठनीय फोटो प्रतियों या स्कैन किए गए दस्तावेजों को ही, जो सत्यप्रतियों के रूप में सत्यापित हों, फाइल किया जा सकेगा।
- (3) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज की दो प्रतियों को (एक मूल और एक प्रति), जहां कहीं संभव हो, पीडीएफ फॉर्मेट में एक अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक प्रति के साथ फाइल किया जाएगा:

परंतु यह कि सचिव, लोक उद्घोषणा के माध्यम से, आयोग के सदस्यों की संख्या और कार्यवाहियों के पक्षकारों की संख्या पर निर्भर करते हुए फाइल की जाने वाली प्रतियों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगा:

परंतु यह और कि सचिव, लोक उद्घोषणा के माध्यम से, ऐसे फारमेट में परिवर्तन कर सकेगा, जिसमें इलेक्ट्रानिक प्रति फाइल की जानी है।

25. आयोग की किसी कार्यवाही में पक्षकार सम्मिलित करने या प्रतिस्थापित करने की शक्ति.

- (1) आयोग किसी सामान्य बैठक में, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर, व्यक्तियों या उद्यमों की किसी भी संख्या को संयुक्त रूप से, संयुक्त या पृथक रूप से, पृथक रूप से या विकल्प के रूप में उन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में सम्मिलित कर सकेगा, यदि,—
 - (क) उस कार्रवाई या संव्यवहारों की श्रृंखला के संबंध में या उनसे उदभूत होने वाले अनुतोष के संबंध में अभिकथित रूप से ऐसे आवेदकों में कोई अधिकार विद्यमान है, चाहे वह संयुक्त और पृथक रूप से या विकल्प के रूप में हो;
 - (ख) आवेदक, आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर सकते हैं कि विधि या तथ्य का कोई समान प्रश्न उदभूत होगा; और
 - (ग) आयोग का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उद्यम द्वारा उसके समक्ष विद्यमान किसी मुद्दे के अवधारण के लिए भाग लेना आवश्यक है।
- (2) यदि किन्हीं कार्यवाहियों में किसी विद्यमान पक्षकार को किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो जाता है, वहां आयोग ऐसे प्रतिस्थापन के लिए आदेश कर सकेगा।
- (3) इन विनियमों के विनियम 38 के निबंधनों के अनुसार, उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कार्यवाहियों में सम्मिलित किए गए किसी पक्षकार द्वारा कोई आवेदन किए जाने पर, सचिव, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगे जाने पर, उन्हें 10 (दस) दिवसों के भीतर अग्रेषित करेगा।
- (4) उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन किया गया कोई आदेश कार्यवाहियों में किसी पूर्व प्रक्रम पर की गई किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

26. आयोग की किसी व्यक्ति या उद्यम को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति.

- (1) यदि आयोग का, किसी सामान्य बैठक में किसी मामले पर विचार करते समय, उसे लिखित में किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति या उद्यम का कार्यवाहियों के परिणाम में कोई सारवान हित है और यह कि ऐसे व्यक्ति या उद्यम को उस मामले में उसका विचार प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना लोकहित में है, तो वह ऐसे व्यक्ति या उद्यम को अपनी ऐसी राय प्रस्तुत करने और मामले की आगे और कार्यवाहियों में भाग लेने, जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करे, की अनुमति दे सकेगा।
- (2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ विनियम 50 के उपविनियम (1) के अनुसार फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा।
- (3) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा, —
 - (क) अनुरोध करने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम;
 - (ख) सूचना या दस्तावेजों की तामील के लिए भारत में पता;

- (ग) संपर्क का ब्यौरा (टेलिफोन नं., मोबाइल नं. जिसके अंतर्गत देश/नगर/क्षेत्र का कोड, इलैक्ट्रानिक मेल पता भी हैं);
- (घ) कार्यवाहियों में ऐसे मुद्दे के मामले का संक्षिप्त विवरण, जो अनुरोध करने वाले व्यक्ति या उद्यम को प्रभावित करता है;
- (ङ) कथन के समर्थन में दस्तावेज या शपथपत्र या साक्ष्य, तत्संबंधी सूची के साथ
- (4) उपविनियम (1) के अधीन कोई आदेश किए जाने पर, यदि कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए गए व्यक्ति या उद्यम द्वारा, इन विनियमों के अधीन विनियमन 38 के निबंधनों के अनुसार, आवेदन किया जाता है तो सचिव 10 (दस) दिवसों के भीतर मांगे गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को उसे प्रस्तुत करेगा।

27. अनावश्यक पक्षकारों को हटाने की शक्ति.

आयोग, उसके समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा सामान्य बैठक के दौरान अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किए गए किसी आवेदन पर, यह कथन करते हुए कि किसी पक्षकार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है या उसे या उसके विरुद्ध कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया जाना है, ऐसे पक्षकार को कार्यवाहियों से हटाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

28. बहु सूचनाएं सम्मिलित करने संबंधी आयोग की शक्ति.

- (1) यदि आयोग का, कोई सूचना या कोई प्रतिनिर्देश या कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय यह समाधान हो जाता है कि किसी पश्चातवर्ती सूचना या प्रतिनिर्देश या आवेदन में समुत्थापित मामले प्रत्यक्षतः और सारवान रूप से एक समान है तो वह दो या अधिक एक समान, यथास्थिति, सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या ओवदनों को विचारार्थ समेकित कर सकेगा।
- (2) यदि महानिदेशक का, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग से अन्वेषण के लिए कोई सूचना या प्रतिनिर्देश प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय पर यह समाधान हो जाता है कि किसी पश्चातवर्ती सूचना या प्रतिनिर्देश या ओवदन में समुत्थापित मामले प्रत्यक्षतः और सारवान रूप से एक समान है तो वह आयोग से दो या अधिक एक समान, यथास्थिति, सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या ओवदनों पर समान अन्वेषण करने के लिए समेकित करने का अनुरोध कर सकेगा।
- (3) जहां आयोग उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अनुसार दो या अधिक सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या आवेदनों को समेकित करता है, वहां, —
 - (क) यथास्थिति, ऐसी प्रत्येक सूचना या प्रतिनिर्देश, उसके स्वयं की डाकेट संख्या द्वारा पृथक रूप से पहचाना जाता रहेगा;
 - (ख) आयोग द्वारा सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों को समेकित करने संबंधी निर्णय अनिर्णीत करने के दौरान महानिदेशक मामलों का अन्वेषण जारी रख सकेगा।

29. सूचना का संशोधन.

आयोग, इस संबंध में कोई आवेदन किए जाने पर किसी सूचना में संशोधन की अनुमति दे सकेगा किंतु ऐसे संशोधन को अनुज्ञा नहीं जाएगी जो सूचना की प्रकृति और विस्तार में सारवान परिवर्तन करता है।

30. आयोग के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतीकरण या तर्क-वितर्क करने की रीति.

- (1) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, किसी कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर आयोग के समक्ष यह घोषणा करेंगे कि क्या वे अधिनियम की धारा 26 के अधीन किसी जांच के अनुक्रम के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण करेंगे या लिखित तर्क फाइल करेंगे।
- (2) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए, आयोग ऐसे समय को, जिसके दौरान, यथास्थिति, किसी कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा फाइल किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण या लिखित तर्कों को संबोधित किया जाएगा, तय या सीमित कर सकेगा और वह किसी ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा, जो विनियम 31 के अनुसार ऐसे समयों से आवद्ध नहीं रहता है।

31. आयोग की किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने की शक्ति.

- (1) जहां किसी सामान्य बैठक के दौरान किसी विशिष्ट मामले के लिए नियत दिवस को, जिसके अंतर्गत आस्थगन पर पुनः बैठक करने का दिवस भी है, यदि कार्यवाही कोई पक्षकार सूचना की तामील के पश्चात् या तारीख को नोट कर लेने के पश्चात्, भी उपसंजात नहीं होते हैं तो आयोग, यथास्थिति, ऐसे पक्षकार या पक्षकारों की अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने का विनिश्चय कर सकेगा और ऐसे उचित आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे।
- (2) यदि कोई पक्षकार विहित समय के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने या उसे उपलब्ध कराने से इन्कार करता है या महत्वपूर्ण रूप से अन्वेषण में बाधा डलता है तो आयोग, उसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जो वह उचित समझे आदेश पारित कर सकेगा।
- (3) जहां आयोग द्वारा उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और पक्षकार यह उपदर्शित करता है कि उसे आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने और/या अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने से, उसके नियंत्रण के परे किन्हीं कारणों से निवारित किया गया था, वहां आयोग इस प्रकार समाधान हो जाने पर आदेश को रद्द कर सकेगा।

32. अंतरिम आदेश.

- (1) जहां आयोग ने, किसी जांच के दौरान, आदेश द्वारा किसी पक्षकार को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तब तक कोई कार्यवाई करने से अस्थायी रूप से निर्बंधित किया है, जब तक कि अधिनियम की धारा 33 के अधीन ऐसी जांच का निष्कर्ष न निकले या अगले आदेश न किए जाएं, वहां ऐसे आदेश पर, यदि कोई हो, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी, जिसके अंतर्गत यदि कोई विसम्मति का मामला है तो विसम्मति करने वाले सदस्य द्वारा विसम्मति टिप्पण भी है और ऐसा आदेश शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।
- (2) जहां आयोग ने किसी जांच के दौरान, उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, वहां उसके पश्चात् यथासंभवशीघ्र, उस पक्षकार की, जिसके विरुद्ध ऐसा कोई आदेश किया गया, सुनवाई करेगा।
- (3) जहां मामले में, अधिनियम की धारा 33 के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है, वहां आयोग, अंतरिम आदेश की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिवसों के भीतर, यथासंभवशीघ्र, अंतिम आदेश पारित करेगा।

33. अंतिम आदेश.

- (1) आयोग के प्रत्येक आदेश पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी जिसके अंतर्गत यदि कोई विसम्मति का मामला है तो विसम्मति करने वाले सदस्य द्वारा विसम्मति टिप्पण भी है।

- (2) आयोग के प्रत्येक आदेश या विनिश्चय को, यथाशक्य रूप से अंतिम बहस की समाप्ति की तारीख से 21 (इक्कीस) कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
- (3) आदेश की सचिव द्वारा या सचिव द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति को, आदेश की तारीख से 4 (चार) सप्ताह के भीतर विनियम 23 में उपबंधित किए गए अनुसार कार्यवाहियों के पक्षकारों पर तामील किया जाएगा।

34. कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनिर्देश.

- (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन राय के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण से या अधिनियम की धारा 49 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिनिर्देश में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (2) उपविनियम (1) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 21 के अधीन किसी कानूनी प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे: -
 - (क) प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधि की ऐसी विनिर्दिष्ट प्रस्थापना या तथ्य या विनिर्दिष्ट मुद्दा या नीति या कोई अन्य विषय, जिस पर राय मांगी गई है;
 - (ख) प्रस्थापना या मुद्दे या नीति या किसी अन्य मामले के अवधारण के लिए सुसंगत पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक आंकड़े;
 - (ग) सुसंगत कानूनों, जिसके अंतर्गत आवश्यक समझे गए नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, आदेश भी हैं, की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां, यदि लागू हो;
 - (घ) पक्षकारों की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित और अद्यतन सूची, उनके पूर्ण पते, टेलीफोन नं.; फैक्स नं., ई-मेल पता सहित;
 - (ङ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन राय के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचना देने का सबूत, यदि लागू हो।
- (3) धारा 21 के अधीन ऐसे प्रतिनिर्देश पर राय देने के लिए समय सीमा विनियम 15 के उपविनियम (5) के परंतुक के अधीन होगी।
- (4) यह समाधान हो जाने पर कि प्रतिनिर्देश पूर्ण है, सचिव किसी सामान्य बैठक के दौरान उसे आयोग के समक्ष रखेगा और ऐसे पक्षकारों के, जिन्हें बैठक की सूचना जारी की जानी है, संबंध में आवश्यक अनुदेश प्राप्त करेगा।
- (5) सचिव सामान्य बैठक के लिए उक्त पक्षकारों को, कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए, विनिर्दिष्ट रीति में, कम से कम 10 (दस) दिवस की सूचना देगा।
- (6) ऐसे पक्षकार, जिन्हें उपविनियम (5) के अधीन सूचनाएं जारी की गई हैं, सूचना की प्राप्ति से 7 (सात) दिवसों के भीतर, प्रत्येक पक्षकार को सूचना पर अपनी टिप्पणियों या उत्तर की एक प्रति तामील करने के पश्चात् उन्हें फाइल कर सकेंगे।
- (7) आयोग विचार-विमर्श के लिए या साक्ष्य के लिए कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि या क्षेत्र के विशेषज्ञ को, जिसे वह मामले में आवश्यक समझे, बुला सकेगा।
- (8) आयोग, किसी व्यक्ति या उद्यम या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण से ऐसी कोई विशिष्टियां और सूचनाएं एकत्रित कर सकेगा, जो उसकी राय में आयोग को प्राप्त प्रतिनिर्देश से सुसंगत है।

- (9) आयोग कोई राय बना सकेगा और उसे संबंधित पक्षकारों को भेज सकेगा तथा उसके द्वारा विनिश्चित समय के भीतर उन पर उनसे आक्षेप और/या सुझाव मांग सकेगा तथा ऐसे आक्षेप या सुझाव पर विचार करने के पश्चात् वह, यथास्थिति, कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अंतिम राय प्रदान कर सकेगा।
- (10) उस दशा में, जहां प्रतिनिर्देश किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से किया गया है, वहां उसे उपविनियम (2) के खंड (घ) और (ङ.) तथा उपविनियम (5), (6) और (9) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के आवेदन से छूट दी जा सकेगी।

35. आयोग द्वारा राय के लिए कानूनी प्राधिकरण को प्रतिनिर्देश.

- (1) धारा 21क के अधीन आयोग द्वारा राय के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण को किए गए प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, —
 - (क) प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधि की ऐसी विनिर्दिष्ट प्रस्थापना या तथ्य सा विनिर्दिष्ट मुद्दा, जिस पर राय मांगी गई है;
 - (ख) प्रस्थापना या मुद्दे के अवधारण के लिए सुसंगत पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक आंकड़े;
 - (ग) अधिनियम, तदधीन विरचित सुसंगत नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों, यदि कोई आयोग द्वारा अनिर्णीत मामले में पारित किए गए हों, जो वह आवश्यक समझे, की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां;
 - (घ) पक्षकारों की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित और अद्यतन सूची, उनके पूर्ण पते, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल पते आदि सहित;
 - (ङ) अधिनियम की धारा 21क के अधीन राय के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचना देने का सबूत;
 - (च) सचिव यह प्रमाणित करेगा कि अग्रेषित किया जा रहा प्रतिनिर्देश ऊपर खंड (क) से (ङ.) के अनुरूप है।

परंतु यह कि यदि उस दशा में, जहां प्रतिनिर्देश, आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से किया जा रहा है, वहां उसे उपर्युक्त खंड (घ) और (ङ) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के लागू होने से छूट दी जा सकेगी।

- (2) जहां कानूनी प्राधिकरण किए गए प्रतिनिर्देश में अतिरिक्त सूचना की मांग करता है, वहां, सचिव, यथाशक्य रूप से, संबंधित कानूनी प्राधिकरण से उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिवसों के भीतर संबंधित प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएगा।
- (3) उस दशा में, जहां उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कोई प्रतिनिर्देश अग्रेषित करने के 60 (साठ) दिवस के भीतर कानूनी प्राधिकरण से कोई राय प्राप्त नहीं होती है, वहां सचिव, अग्रिम आदेशों के लिए मामले को सामान्य बैठक के दौरान आयोग के समक्ष रखेगा।
- (4) कानूनी प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन राय प्राप्त होने पर सचिव आदेशों के लिए उसको सामान्य बैठक के दौरान आयोग के समक्ष रखेगा।

36. गोपनीयता.

- (1) आयोग किसी सूचना देने वाले व्यक्ति की इसकी लिखित में अनुरोध किए जाने पर उसकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखेगा:

परंतु जहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट करना आवश्यक या समीचीन है, वहां आयोग सूचना देने वाले व्यक्ति को आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसकी पहचान प्रकट करेगा।

- (2) कोई पक्षकार उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) पर गोपनीयता की मांग करता है तो वह ऐसे व्यवहार के लिए अकाट्य कारण देगा और स्वयं प्रमाणित करेगा कि किसी सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) या उसके किसी भाग(भागों) को गोपनीय न रखने के परिणामस्वरूप व्यापार रहस्यों का प्रकटन होगा या किसी सूचना के वाणिज्यिक मूल्य में बर्बादी होगी या सारवान कमी होगी या उससे युक्तियुक्त रूप से कोई गंभीर क्षति होने की आशंका है। आगे, पक्षकार स्व-प्रमाणन के आधार पर, उस तारीख के साथ जिसको ऐसा गोपनीय व्यवहार समाप्त हो जाएगा, निम्नलिखित की पुष्टि करेगा:

(क) कि सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है;

(ख) कि सूचना पक्षकार के कारबार के सीमित कर्मचारियों, प्रदायकर्ताओं, वितरकों और उसमें अंतर्बलित अन्य व्यक्तियों को ज्ञात है;

(ग) कि पक्षकार द्वारा सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं;

(घ) कि सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है या अनुलिपि नहीं बनाई जा सकती है।

गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार, यथा उपर्युक्त अपेक्षाओं के निबंधनों के अनुसार दावे प्रमाणित करते हुए एक शपथपत्र के स्वरूप में वचनबंध उपलब्ध कराएगा और ऐसा वचनबंध या तो पक्षकार स्वयं या उसका कोई कर्मचारी फाइल करेगा जो संबंधित पक्षकार की ओर से ऐसे प्राधिकार जारी करने के लिए पक्षकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो:

परंतु यह कि मिथ्या वचनबंध प्रस्तुत करने वाले पक्षकार, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्यवाही किए जाने के भागी होंगे।

- (3) गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार, उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग पर और ऊपरी भाग के निकट लाल स्याही में स्पष्ट और सुपठनीय रूप में क्रमशः 'प्रकाशन के निबंधन का दावा' और 'गोपनीय' शब्दों और दावे की अंतर्वस्तु, जो लाल स्याही में चिन्हांकित/टंकित है, को चिन्हांकित करते हुए ऐसी सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) का पूर्ण पाठ फाइल करेगा जिसके साथ उसका 'अगोपनीय' पाठ भी फाइल किया जाएगा जो संपादित होगा/जिसमें ऐसी सूचना या ऐसा दस्तावेज(ऐसे दस्तावेजों) या उसका भाग (उनके भाग) सम्मिलित नहीं होगा (होंगे) जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है।
- (4) ऐसी सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) का अगोपनीय पाठ उस गोपनीय पाठ की सही प्रति होगी, जिसमें उपविनियम (3) में यथा अनुबद्ध सुस्पष्ट रीति में उपदर्शित गोपनीय सूचना का लोप होगा।
- (5) ऐसी सूचना या ऐसा दस्तावेज(ऐसे दस्तावेजों) या उसका भाग (उसके भागों) जिनका इस विनियम के अधीन गोपनीय होने का दावा किया गया है, उसे अगोपनीय अभिलेख से पृथक किया जाएगा और उसे सुरक्षित रूप से कार्यवाहियों का शीर्षक, डॉकेट संख्या 'गोपनीय' टिप्पणी और वह तारीख लिखी जाएगी, जिसको गोपनीय व्यवहार की कालावधि समाप्त हो जाएगी:

परंतु यह कि निम्नलिखित को यथास्थिति, 'गोपनीय (तलाशी और जब्ती/ई-मेल डंप/कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि)' के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा और अलग से रखा जाएगा:

(क) तलाशी और जब्ती अभियान के द्वारा प्राप्त दस्तावेज/सामग्री;

(ख) ई-मेल डंप;

(ग) कॉल डिटेल रिकॉर्ड; या

(घ) व्यक्तिगत सूचना की प्रकृति में कोई अन्य दस्तावेज/सामग्री

- (6) आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे, अधिनियम की धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि जो उपविनियम (5) में यथा उल्लिखित सूचना तक पहुंच रखने में सक्षम होगा जो इन विनियमों के विनियम 38 के निबंधनों के अनुसार असंपादित स्वरूप में यथापेक्षित है, सहित लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, पक्षकारों के ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि को मिलाकर गोपनीयता वलय(वलयों) को स्थापित कर सकेगा:

परंतु यह कि आयोग, गोपनीयता वलय स्थापित करते समय, पहुंच योग्य बनाये जाने वाली सूचना के साथ-साथ गोपनीयता वलय में प्रयोजन के लिए सम्मिलित होने वाले वाले पक्षकारों और उनके सदस्यों की सीमा, जो उचित हो विनिश्चित कर सकेगा:

परंतु यह और कि उपविनियम (5) के परंतुक में उल्लिखित दस्तावेज(दस्तावेजों)/सामग्री जिन पर महानिदेशक के प्रतिवेदन के गोपनीय पाठ में भरोसा किया गया है, गोपनीय वलय के सदस्यों तक पहुंच योग्य बनाया जाएगा।

- (7) (क) गोपनीय सूचना तक पहुंच की मांग करने वाले पक्षकार, एक आवेदन की रीति से, यथासंभवशीघ्र, गोपनीयता वलय स्थापित करने का अनुरोध करेगा।

(ख) उस दशा में, जहां पक्षकार ने अन्वेषण रिपोर्ट की अगोपनीय पाठ की प्राप्ति के पश्चात, ऐसा अनुरोध किया है वहां उसे, उसकी प्राप्ति के 10 (दस) दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार को 10 (दस) दिवसों की कथित कालावधि के भीतर अनुरोध करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 7 (सात) दिवसों की आगे की कालावधि के भीतर किए गए अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

- (8) गोपनीयता वलय में सम्मिलित होने वाले पक्षकारों को उपविनियम (6) के निबंधनों के अनुसार असंपादित सूचना तक पहुंच, उनके द्वारा यह कथन करते हुए कि सूचना जिस तक ऐसे वलय के अनुसरण में उनके सदस्यों की पहुंच है, उसे किसी अन्य व्यक्ति जिसके अंतर्गत संबंधित उद्यम का कोई अधिकारी और/या अन्य कर्मचारी या संबंधित उद्यम का कोई सह-उद्यम, अनुषंगी, समूह अस्तित्व का कोई अधिकारी और/या कर्मचारी, या कोई अन्य व्यक्ति, जो भी हो, भी हैं, को साझा नहीं करेंगे और/या प्रकटन नहीं करेंगे और कि वे ऐसी सूचना और दस्तावेजों का केवल अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए ही उपयोग करेंगे, और वे ऐसी सूचना और दस्तावेजों को अपनी एकमात्र अभिरक्षा के अंतर्गत रखेंगे, और वर्तमान कार्यवाहियों की परिणति पर उसे नष्ट कर देंगे, पर एक शपथपत्र के स्वरूप में वचनबंध फाइल करने पर, प्रदान की जाएगी:

परंतु यह कि गोपनीयता वलय में सम्मिलित प्रत्येक पक्षकार, अन्य पक्षकारों को भी जिन्हें उनके सदस्यों द्वारा गोपनीयता सूचना की पहुंच दी जा रही है, के विषय में उपर्युक्त निबंधनों पर, एक शपथपत्र के स्वरूप में अलग वचनबंध(वचनबंधों) को प्रदान करेंगे, और पक्षकारों के पास ऐसे वचनबंध (वचनबंधों) के कोई उल्लंघन के मामले में, विधिनुसार, समुचित प्रतिकारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होगी:

परंतु यह और कि गोपनीयता वलय का भाग बनने वाले संबंधित पक्षकार और उनके सदस्य, वचनबंधों के उल्लंघन के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्यवाही किए जाने के भागी होंगे।

- (9) पक्षकार गोपनीय वलय स्थापित करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख 10 (दस) दिवसों की कालावधि के भीतर, उपर्युक्त उपविनियम (8) के निबंधनों के अनुसार वचनबंध फाइल करेंगे:

परंतु यह कि यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार को 10 (दस) दिवसों की कथित कालावधि के भीतर, वचनबंध फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 5 (पांच) दिवसों की आगे की कालावधि के भीतर, उसका प्रतिग्रहण कर सकेगा।

- (10) सूचना देने वाला, गोपनीयता वलय का भाग नहीं बनेगा और उसके पास केवल अगोपनीय अभिलेख तक ही पहुंच होगी:

परंतु यह कि आयोग, उपयुक्त मामलों में, सूचना देने वाले को गोपनीयता वलय में सम्मिलित कर सकेगा, यदि वह सूचना देने वाले का वलय में समावेशन प्रभावी जांच के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है।

- (11) (1) गोपनीयता वलय में सम्मिलित पक्षकार, इन विनियमों के विनियम 51 के साथ पठित, विनियम 38 के अधीन, वचनबंध(वचनबंधों) को प्रस्तुत करने की तारीख से 7 (सात) दिवसों की कालावधि के भीतर, निरीक्षण की मांग करने के आवेदन(आवेदनों) को कर सकेंगे।
- (2) पक्षकारों को ऐसा निरीक्षण, अनुज्ञा दिये जाने के 21 (इक्कीस) दिवसों की कालावधि के भीतर पूर्ण करना होगा।
- (3) पक्षकार, इसके पश्चात 7 (सात) दिवसों की कालावधि के भीतर, इन विनियमों के विनियम 51 के साथ पठित विनियम 38 के अधीन, प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की मांग के आवेदन(आवेदनों) को कर सकेंगे।
- (4) माणित प्रतियों की मांग करने के आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी 14 (चौदह) दिवसों की कालावधि के भीतर प्रदायगी कर दी जाएगी:

परंतु यह कि सचिव, उपर्युक्त उपखंड (2) के अधीन विहित समयावधि(समयावधियों) को आगे 7 (सात) दिवसों की कालावधि किंतु अपश्चात, बढ़ा सकेगा।

- (12) (1) आयोग, आपवादिक मामलों में, विशिष्ट विषय के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, इस विनियम के अधीन विहित समयावधि बढ़ा सकेगा।
- (2) उस दशा में, जहां पक्षकार, प्रदत्त समयावधि का पालन करने में विफल रहता है/रहते हैं, वहां आयोग, कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखेगा।
- (13) यदि आयोग किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय या राय, सूचना में ऐसा कोई भाग सम्मिलित करता है जिसे इस विनियम के अधीन गोपनीय दावा किया गया है, तो आयोग, यथास्थिति, आदेश या विनिश्चय या राय के दो पाठ बनाएगा। अगोपनीय पाठ, जिसमें ऐसी गोपनीय सूचना, जो पूर्ण पाठ में विद्यमान है, का लोप है, पक्षकारों पर तामील की जाएगी, और अगोपनीय अभिलेख में सम्मिलित की जाएगी। पूर्ण पाठ को उपविनियम (4) में उपबंधित किए गए अनुसार गोपनीय अभिलेखों में रखा जाएगा और उसे गोपनीयता वलय के सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा।
- (14) कोई व्यक्ति या पक्षकार, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी या अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित कोई विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता के लिए बुलाया गया कोई विशेषज्ञ भी है, ऐसी सूचना या ऐसे दस्तावेज(ऐसे दस्तावेजों) या उसका भाग (उसके भागों) की, जिसका इस विनियम के अधीन गोपनीयता का दावा किया गया है, अंतर्वस्तु की गोपनीयता बनाए रखेगा

और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी गोपनीय सूचना का उपयोग या प्रकटन या उसके संबंध में व्यवहार नहीं करेगा:

परंतु यह कि आयोग/कार्यालय महानिदेशक का कोई अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन को, यथास्थिति, सुसंगत नियमों या विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ के लिए आधार माना जाएगा:

परंतु यह और कि यदि अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित किसी विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता के लिए बुलाए गए किसी विशेषज्ञ द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे नियोजन या संविदा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

37. आयोग के आदेशों का अनुपालन.

आयोग के पास संबंधित पक्षकारों को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वे उसके आदेश के अनुपालन या आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे अन्य दस्तावेजों के अनुपालन के संबंध में शपथपत्र फाइल करें।

38. दस्तावेजों का निरीक्षण एवं उसकी प्रमाणित प्रतियां.

(1) अधिनियम 57 के उपबंधों और इन विनियमों के विनियम 36 के अधीन रहते हुए, आयोग की किसी सामान्य बैठक में कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को, उसके द्वारा इस निमित्त सचिव को संबोधित लिखित में आवेदन किए जाने पर, विनियम 51 में यथानिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी:

परंतु यह और कि आंतरिक दस्तावेजों के निरीक्षण या उसकी प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) आयोग, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं है और उसके द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को विनियम 51 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर उपविनियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों या अभिलेखों के निरीक्षण करने और/या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) निरीक्षण की अनुज्ञा केवल सचिव द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही दी जाएगी:

परंतु यह कि उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अनुसार दस्तावेजों का निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमाओं और उसके अधीक्षण के अधीन रहते हुए दी जाएगी:

परंतु यह और कि गोपनीय दस्तावेजों का निरीक्षण और उसकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, इन विनियमों के विनियम 36 के अधीन यथाअनुबद्ध समय सीमाएं लागू होंगी।

(4) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या महानिदेशक या कानूनी प्रधिकरण को, उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए सचिव को लिखित अनुरोध किए जाने पर उपविनियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

39. किसी पक्षकार की मृत्यु या उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना.

जहां किसी कार्यवाही के पक्षकार की आयोग की सामान्य बैठक में मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी कंपनी की दशा में, उसका समापन किया जा रहा है तो वहां कार्यवाहियों का उपशमन नहीं

होगा और उन्हें, यथास्थिति, पक्षकारों के निष्पादक, प्रशासक, या अन्य विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा या विरुद्ध या समनुदेशितियों, रिसिवर या परिसमापक द्वारा विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा।

40. अनुपालन का प्रभाव.

इन विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन में असफलता किसी कार्यवाही को, केवल ऐसी असफलता के कारण अविधिमान्य नहीं बनाएगी, जब तक कि आयोग का यह विचार न हो कि ऐसी असफलता के परिणामस्वरूप न्याय का अतिक्रमण हुआ है।

41. साक्ष्य लेना.

(1) अधिनियमों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक ऐसी रीति को अवधारित कर सकेगा जिसमें उसके समक्ष विद्यमान कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) उपविनियम (1) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग या महानिदेशक, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, —

(क) सत्यापित किए जाने योग्य टेप रिकार्डिंगों की प्रतिकृतियों, वीडियो रिकार्डिंगों के असंपादित पाठों, इलैक्ट्रानिक मेल, टेलीफोन अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिप्रमाणित मोबाइल टेलीफोन रिकार्ड भी हैं, लिखित, हस्ताक्षरित अशपथपूर्वक दिए गए व्यष्टिक बयानों या लिखित प्रश्नोत्तरों या साक्षात्कारों के हस्ताक्षरित प्रत्युत्तरों या बाजार सर्वेक्षणों या आर्थिक अध्ययनों के आधार पर विशेषज्ञों की टिप्पणियों या रायों या विश्लेषणों या अन्य प्राधिकृत पाठों के रूप में या अन्यथा को सारवान साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा;

(ख) किसी प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज के रूप में तात्पर्यित प्रत्येक ऐसे दस्तावेज को जिसे विधि द्वारा ग्रहण योग्य घोषित किया गया हो, किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में वास्तविक मानते हुए अभिलेख पर ग्रहण कर सकेगा, परंतु यह कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी अधिकरण के किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी या आयोग के सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो;

(ग) लेखा बहियों में, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई लेखा बहियां भी हैं, जिन्हें कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखा जाता है और इसमें किसी ऐसी लोक या अन्य शासकीय बही, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं, जिसे किसी लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में रखा गया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देश की विधि द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपे गए कर्तव्य के निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखा गया है, जिसमें किसी बही, रजिस्टर, अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को रखा जाता है, की गई प्रविष्टियों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की राय को, दस्तावेज लिखने या हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति को लिखावट को साबित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा, जो उस व्यक्ति की लिखावट से भली भांति परिचित है, जिसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज लिखा या हस्ताक्षरित किया गया है;

(ङ) लिखावट के विशेषज्ञों या उंगलियों के निशानों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों या विदेशी विधि या किसी विज्ञान या कला के निर्वचन में विशेष रूप से दक्ष व्यक्तियों की राय को ग्रहण कर सकेगा;

- (च) ऐसे तथ्यों को सूचना में लेगा, जिनकी सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) की धारा 52 के अधीन किसी विधि के न्यायालय द्वारा ली जाती है;
- (छ) ऐसे तथ्यों को स्वीकार कर सकेगा, जिन्हें कार्यवाहियों के पक्षकार प्रस्तुत या लिखित में स्वीकार करते हैं और जिन्हें साबित किया गया है;
- (ज) यह मान लेगा कि भारत का भाग न बनने वाले किसी देश के किसी प्राधिकरण, न्यायालय या सरकार के किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रति के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज वास्तविक और सही हैं, यदि ऐसा दस्तावेज ऐसे देश की राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किसी ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है, जो उस देश में ऐसे अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है, इसके अंतर्गत भारत में उस देश के दूतावास या उच्चायोग द्वारा किया गया प्रमाणन भी है;
- (झ) ऐसे दस्तावेजों को, जिनके अंतर्गत कार्यवाहियों के लिए सुसंगत और सारवान माने गए साक्ष्य रूप में इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं, ग्रहण कर सकेगा।
- (3) उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के निम्नलिखित धाराएं, जहां तक वे यथाशक्य रूप से निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक द्वारा जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू हो सकेंगी, -
- (क) धारा 20 - जब किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक प्रस्तुतीकरण सुसंगत हो;
- (ख) धारा 41 (2) - इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर संबंध में राय, जब सुसंगत हो;
- (ग) धारा 63 - इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता;
- (घ) धारा 66 - इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के संबंध में सबूत;
- (ङ) धारा 73 - अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन संबंध में सबूत;
- (च) धारा 81 - इलैक्ट्रानिक और अंकीय अभिलेख में राजपत्रों के संबंध में माना जाना;
- (छ) धारा 85 - इलैक्ट्रानिक करारों के संबंध में माना जाना;
- (ज) धारा 86 - इलैक्ट्रानिक रिकार्डों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षरों के संबंध में माना जाना;
- (झ) धारा 87 - इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के संबंध में माना जाना;
- (ञ) धारा 90 - इलैक्ट्रानिक संदेशों के संबंध में माना जाना;
- (ट) धारा 91 - प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन के संबंध में माना जाना;
- (ठ) धारा 93 - पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के संबंध में माना जाना।
- (4) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक पक्षकारों को शपथपत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या मामले में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।
- (5) यदि, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक किसी पक्षकार को मौखिक प्रस्तुतीकरण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देता है तो, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि वह ऐसा आवश्यक या समीचीन मानता है तो, यथास्थिति, अन्य पक्षकार या पक्षकारों को साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की प्रति-परीक्षा करने का अवसर प्रदान कर सकेगा:

परंतु यह कि यदि किसी पक्षकार द्वारा मौखिक प्रस्तुतीकरण की रीति से दिये गए साक्ष्य पर, महानिदेशक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या पक्षकार के विरुद्ध अपनी अन्वेषण रिपोर्ट में भरोसा करने की मांग की जाती है, तो महानिदेशक संबंधित व्यक्ति या पक्षकार को, जिसके विरुद्ध ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने की मांग की जाती है, साक्ष्य देने वाले व्यक्ति से प्रति-परीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा।

- (6) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि वह ऐसा आवश्यक या समीचीन मानता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि किसी पक्षकार के साक्ष्य को उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा लेखबद्ध किया जाए।
- (7) आयोग पक्षकारों को मामले में बहस या प्रस्तुतीकरणों का लिखित टिप्पण फाइल करने का निदेश दे सकेगा।

42. शपथपत्र फाइल करके तथ्यों का समर्थन करना.

- (1) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, किसी भी समय पर्याप्त कारणों से यह आदेश जारी कर सकेगा कि विशिष्ट तथ्य या तथ्यों का शपथपत्र द्वारा समर्थन किया जाए।
- (2) प्रत्येक शपथपत्र को ए4 आकार (210 x 297 मिमी या 8.27" x 11.69") के सफेद बांड पृष्ठ पर एरियल 12 के फॉन्ट में डबल स्पेस और बाईं ओर दो इंच का और अन्य सभी ओर से एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए केवल एक ओर टंकित किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक शपथपत्र में ऐसे हेतुक या मामले का स्पष्ट कथन होगा जिसमें ऐसी शपथ ली गई है।
- (4) प्रत्येक शपथपत्र को प्रथम व्यक्ति में लिखा जाएगा और यह पैराओं में विभाजित होगा जिन्हें क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और इसमें अभिशपथी का वर्णन, उसके व्यवसाय और निवास के सही स्थान का कथन होगा।
- (5) आयोग के समक्ष किसी हेतु या मामले के प्रयोजनों के लिए शपथपत्रों को किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी या किसी ऐसे अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त किया गया हो और जिसे किसी राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 15) की धारा 139 में उल्लिखित प्राधिकार द्वारा साधारणतः या विशेष रूप से इस निमित्त सशक्त किया गया हो, के समक्ष तैयार किया जा सकेगा।
- (6) किसी शपथपत्र में संलग्न प्रत्येक प्रदर्श पर उसका शीर्षक और हेतुक या मामले का संख्यांक चिह्नित किया जाएगा और उस पर उस प्राधिकारी के, जिसके समक्ष इसे तैयार किया गया है, संक्षिप्त हस्ताक्षर होंगे और उसके द्वारा तारीख डाली जाएगी।
- (7) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के समक्ष तब तक ऐसा कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया जाएगा जिसमें कोई अंतरापंक्तियां, परिवर्तन हों या कुछ मिटाया गया हो, जब तक कि ऐसी अंतरापंक्तियों या परिवर्तनों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर न किए गए हों या मिटाए जाने की दशा में जब तक मिटाए गए स्थान पर लिए गए शब्दों या अंकों को मार्जिन के स्थान पर पुनः न लिखा गया हो और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष इसे तैयार किया गया है, संक्षिप्त हस्ताक्षर न किए गए हों।
- (8) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक वहां ऐसे शपथपत्र को प्राप्त करने से इन्कार कर सकेगा जहां उसकी राय में अंतरापंक्तियां, परिवर्तन या मिटाई गई अंतर्वस्तु इतनी अधिक हैं कि शपथपत्र को पुनः लिखना समीचीन हो।
- (9) जहां शपथपत्र फाइल करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय दिया गया है वहां ऐसे समय के पश्चात् कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया जाएगा, सिवाय, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की अनुमति से।

- (10) इन विनियमों में, किसी "शपथपत्र" में ऐसा कोई दस्तावेज सम्मिलित है जिस पर शपथ लेना, प्रतिज्ञान करना, या जिसे सत्यापित करना अपेक्षित है। याचिकाओं और अन्य कार्यवाहियों के सत्यापन में, व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित कथनों को जानकारी और विश्वास पर आधारित कथनों से सुभिन्न किया जाएगा।
- (11) आयोग या महानिदेशक, कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान, जहां कहीं न्याय के हित में आवश्यक और समीचीन समझा जाए, इस विनियम के किसी या सभी उपरोक्त उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

43. आयोग के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना.

- (1) कार्यवाहियों के पक्षकारों को आयोग के समक्ष ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने का हक नहीं होगा, जो उनके कब्जे या जानकारी में था किंतु अधिनियम की धारा 26 या धारा 29 की उपधारा (1क) के अधीन अन्वेषण के दौरान महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, किंतु यदि आयोग किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने या किसी शपथपत्र को फाइल करने की अपेक्षा करता है ताकि वह आदेश पारित करने में समर्थ हो सके या फिर किसी सारवान कारण से या यदि महानिदेशक ने पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया है तो आयोग, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने या साक्षी की परीक्षा करने या शपथपत्र फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।
- (2) ऐसे किसी दस्तावेज को या ऐसे किसी साक्षी की या ऐसे किसी साक्ष्य को आयोग के समक्ष या आयोग द्वारा निदिष्ट किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, क्रमशः प्रस्तुत किया जा सकेगा, परीक्षा की जा सकेगी या प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (3) यदि यह निदेश दिया जाता है कि किसी प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए या साक्षी की परीक्षा की जाए या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए तो वह आयोग के निदेश का अनुपालन करेगा और अनुपालन के पश्चात् दस्तावेज, साक्षी के बयान का अभिलेख या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अभिलेख को आयोग को भेजेगा।
- (4) अतिरिक्त साक्ष्य/दस्तावेज को आयोग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से भिन्न कार्यवाहियों के अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें उक्त अतिरिक्त साक्ष्य की अंतर्वस्तु को मिथ्या साबित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।

44. आयोग की सूचना आदि मांगने की शक्ति.

- (1) आयोग, किसी कार्यवाही में आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय, किसी भी पक्षकार या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, ऐसे दस्तावेज या अन्य सारवान वस्तुएं, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें आयोग उसे आदेश पारित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है।
- (2) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, साक्षियों को समन करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य सारवान वस्तुओं को ढूंढने और प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा कर सकेगा, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में विद्यमान ऐसी किन्हीं बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों या सूचना, जिसे आयोग इस प्रयोजन के लिए सुसंगत समझता है, की परीक्षा करने का निदेश दे सकेगा।
- (3) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, किसी भी समय किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसकी उपस्थिति को बलपूर्वक संभव बना सकेगा और उसकी परीक्षा ले सकेगा या उसकी शपथ पर परीक्षा करा सकेगा।

45. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग या महानिदेशक की कमीशन जारी करने की शक्ति.

- (1) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (घ) और धारा 41 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग या महानिदेशक, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से या आयोग या महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे विनिर्दिष्ट साक्षी (साक्षियों) की प्रश्नोत्तरों या अन्यथा पर परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा, –
 - (क) जो भारत में निवास कर रहा है;
 - (ख) जो उस तारीख, जिसको उससे एक साक्षी के रूप में परीक्षा देना अपेक्षित है, से पूर्व भारत छोड़ने वाला है;
 - (ग) जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण की सेवा में होने के कारण, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की राय में लोक सेवा को बाधित किए बिना कार्यवाही में उपसंजात नहीं हो सकता;
 - (घ) जो बीमारी या निःशक्तता के कारण उपसंजात होने में असमर्थ है;
 - (ङ) जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जो, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के कार्यालय से पांच सौ किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की राय में जिसकी उपस्थिति को विहित समय के भीतर अनावश्यक व्यय उपगत किए बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता;
 - (च) जो खंड (क) से खंड (ङ.) में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, यदि उसके साक्ष्य को न्याय के हित में आवश्यक समझा जाता है।
- (2) उपविनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, या तो स्वप्रेरणा से या आयोग या महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, भारत के भीतर किसी स्थान पर निवास न करने वाले साक्षी की प्रश्नोत्तरों पर या अन्यथा परीक्षा करने के लिए भी कमीशन जारी कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य करना आवश्यक है और वह इस विनियम के अधीन कमीशन के निष्पादन को सुकर बनाने के लिए भारतीय उच्चायोग या भारतीय दूतावास को अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा।
- (3) उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, या तो स्वप्रेरणा से या आयोग या महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी विनिर्दिष्ट दस्तावेज, दस्तावेजों की, चाहे वे भारत में या भारत से बाहर स्थित किसी स्थान पर उपलब्ध हों, और चाहे वह ऊपर उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अनुसार प्रश्नोत्तरों पर परीक्षित किए जाने वाले किसी साक्षी की अभिरक्षा में हों या नहीं, परीक्षा के लिए भी कमीशन जारी कर सकेगा।
- (4) उपविनियम (1) या (2) या (3) के अधीन, किसी साक्षी की किन्हीं प्रश्नोत्तरों या अन्यथा परीक्षा करने या किन्हीं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए जारी कमीशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा (28) के अर्थान्तर्गत किसी लोक सेवक या किसी परामर्शी को सम्मिलित किया जा सकेगा और यथास्थिति, ऐसे किसी लोक सेवक या परामर्शी को इस अयोग के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए ही “कमीशनर” के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (5) उपविनियम (4) में निर्दिष्ट प्रत्येक लोक सेवक या परामर्शी, उपविनियम (4) के अधीन नियुक्त कमीशन प्राप्त होने पर, यथास्थिति, साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा करेगा या उनके अनुसार साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा

कराएगा और सम्यक निष्पादन हो जाने पर, उसके अधीन दिए गए साक्ष्य के साथ कमीशन को यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक को वापस करेगा।

- (6) यथास्थिति, अयोग या महानिदेशक, उपविनियम (4) के अधीन नियुक्त कमीशनर को कार्यवाहियों के अभिलेख का ऐसा भाग और ऐसे अनुदेश देगा, जो आवश्यक प्रतीत हों और अनुदेशों में स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि कमीशन निदेश दिए गए अनुसार परीक्षा के माध्यम से तथ्यों का पता लगाने तक निर्बंधित है और कमीशनर से मात्र यह अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा के पूरा हो जाने पर आयोग को कार्यवाहियों के अभिलेख संप्रेषित करे।
- (7) इन विनियमों के अधीन नियुक्त कोई कमीशनर जब तक कि नियुक्ति आदेश में अन्यथा निद्रिष्ट न किया हो –
 - (a) साक्षी की स्वयं परीक्षा करेगा;
 - (b) दस्तावेजों और जांच के विषय से सुसंगत अन्य वस्तुओं की मांग करेगा और परीक्षा करेगा।
- (8) इस विनियम के अधीन कमीशन जारी करने वाला, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक ऐसी तारीख नियत करेगा, जिसको या जिससे पूर्व निष्पादन के पश्चात् कमीशन लौटाया जाएगा और इस प्रकार नियत की गई तारीख को विस्तारित नहीं किया जाएगा, सिवाय यदि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि तारीख को विस्तारित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।

46. किसी प्रतिनिधि को उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करना.

- (1) अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही में, जहां अभिवाकों को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है, वहां पक्षकार प्रतिनिधि को उसके लिए उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करते हुए विनिर्दिष्ट रीति में पत्र या वकालतनामा संलग्न करेगा।
- (2) प्राधिकृत प्रतिनिधि को तब तक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा प्राधिकार पत्र या वकालतनामा सामान्य बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व सचिव को फाइल नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यह कि प्रत्येक पक्षकार के निमित्त, किसी भी समय, केवल एक ही प्राधिकार पत्र या वकालतनामा विधिमान्य माना जाएगा जिस पर उसके सभी कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और किसी पक्षकार द्वारा नया प्राधिकार पत्र या वकालतनामा फाइल करने पर पहले वाले प्राधिकार पत्र या वकालतनामा को निरस्त माना जाएगा।

- (3) आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार के लिए और उसके निमित्त उपसंजात होने वाले किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग उपयुक्त परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दुर्व्यवहार के दोषी व्यक्ति को आयोग और/ या महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों में भविष्य में या ऐसे समय तक, जिसे आयोग आवश्यक समझे, उपसंजात होने से विवर्जित करने वाले आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा।
- (4) किसी परामर्शी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की दशा में, सचिव, यदि उसे आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, इस प्रभाव की एक लिखित शिकायत उस राज्य विधिज्ञ परिषद् को अग्रेषित करेगा, जिसका विधि व्यवसायी सदस्य है या ऐसी लिखित शिकायत यथास्थिति, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान को अग्रेषित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजन के लिए, “दुर्व्यवहार” पद में किसी कार्यवाही की सम्यक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसमें बाधा डालना या बाधा डालने का प्रयास करना या आयोग के किसी आदेश या निदेश के अनुपालन या निष्पादन को बाधित करना या बाधित करने का प्रयास करना या किसी भी

रीति में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना या अवज्ञापूर्वक व्यवहार करना या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी की प्रतिष्ठा पर किसी भी रीति में, जो भी हो, प्रहार करना सम्मिलित होंगे।

47. महानिदेशक द्वारा समन किए गए किसी व्यक्ति के साथ किसी अधिवक्ता के रहने को प्राधिकृत करना.

कोई अधिवक्ता, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, महानिदेशक द्वारा समन किए गए किसी व्यक्ति के साथ उसके समक्ष उपसंजात हो सकेगा, अर्थात् -

- (क) अधिवक्ता को ऐसे व्यक्ति के साथ होने की अनुज्ञा नहीं होगी, जब तक कि कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व महानिदेशक को प्राधिकार पत्र या वकालतनामा संलग्न करते हुए, सम्यक रूप से लिखित अनुरोध प्रस्तुत न कर दिया जाए।
- (ख) अधिवक्ता ऐसे समन किए गए व्यक्ति के सामने नहीं बैठेगा।
- (ग) अधिवक्ता श्रवणगोचर दूरी पर नहीं रहेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा के दौरान व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं बनाएगा, परामर्श नहीं करेगा, वार्तालाप नहीं करेगा या किसी भी रीति में संवाद नहीं करेगा।

48. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच न होना.

सिवाय वहां के, जहां आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा निदेश करे, किसी सामान्य बैठक के दौरान आयोग के समक्ष कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच नहीं होगी। कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच बनाने संबंधी विनिश्चय करते समय, आयोग निम्नलिखित सभी या किसी विषय को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

- (क) क्या लोग प्रकटन के कारण किसी पक्षकार को कोई सारवान क्षति तो नहीं पहुंचती है;
- (ख) जनता को जानकारी उपलब्ध कराने में निषेध या प्रोत्साहन की डिग्री;
- (ग) कार्यवाहियों का दक्ष और उचित संचालन;
- (घ) आयोग के संसाधन;

49. अधिनियम के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए प्रक्रिया.

- (1) आयोग के अधिनियम के अधीन विरचित किसी नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय VI के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश या निदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयोग की सामान्य बैठक के दौरान किसी व्यक्ति या उद्यम या कार्यवाही के पक्षकार को कारण बताओ सूचना न दी गई हो और आयोग के समक्ष उसे उसका मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।
- (2) उस दशा में, जहां अधिनियम की धारा 48 के निबंधनों के अनुसार जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, ऐसे व्यक्तियों को इन विनियमों के विनियम 22 के उपविनियम (8) के अधीन, यथास्थिति, अन्वेषण रिपोर्ट और/या पूरक अन्वेषण रिपोर्ट अग्रेषित करना या कारण बताओ सूचना जारी करना, उपर्युक्त उपविनियम (1) के निबंधनों के अनुसार कारण बताओ सूचना माना जाएगा।
- (3) उस दशा में, जहां आयोग उपविनियम (1) के अधीन, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या उद्यम या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को कारण बताओ सूचना जारी करने का विनिश्चय करता है, वहां सचिव उसे कम से कम 15 (पंद्रह) दिवसों का समय देते हुए एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा जिसमें उससे, सूचना में विहित कालावधि के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

- (4) आयोग, स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर और मौखिक सुनवाई, यदि मंजूर की जाती है, के पश्चात् मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने के मामले का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही करेगा।

50. अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन फीस.

- (1) किसी व्यक्ति से अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त प्रत्येक सूचना के साथ संदत्त फीस का सबूत इस प्रकार संलग्न होगा, -
- (क) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में 6,000 (छह हजार) रुपए, या
- (ख) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या उपभोक्ता संगम, या सहकारी सोसाइटी या न्यास के मामले में 12,000 (बारह हजार) रुपए, या
- (ग) ऐसी फर्म (जिसके अंतर्गत प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हैं) या कंपनी (जिसके अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी भी है), पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका आवर्त दो करोड़ रुपये तक का रहा हो, के मामले में 50,000 (पचास हजार) रुपए,
- (घ) ऐसी फर्म (जिसके अंतर्गत प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हैं) या कंपनी (जिसके अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी भी है), पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका आवर्त दो करोड़ रुपये से पचास करोड़ रुपये तक का रहा हो, के मामले में 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) रुपए,
- (ङ) अन्य सभी मामलों जो खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) में आवृत्त नहीं हैं, में 6,00,000 (छह लाख) रुपए।
- (2) विनियम 16 के उपविनियम (6) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अंतवर्ती आवेदन के साथ संदत्त फीस का सबूत इस प्रकार संलग्न होगा, -
- (a) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में 500 (पाँच सौ) रुपए, या
- (b) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या उपभोक्ता संगम, या सहकारी सोसाइटी या न्यास के मामले में 1,000 (एक हजार) रुपए, या
- (c) ऐसी फर्म (जिसके अंतर्गत प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हैं) या कंपनी (जिसके अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी भी है), पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका आवर्त दो करोड़ रुपये तक का रहा हो, के मामले में 1,000 (एक हजार) रुपए,
- (d) अन्य सभी मामलों में 5,000 (पांच हजार) रुपए।
- (3) विनियम 16 के उपविनियम (6) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रकीर्ण आवेदन के साथ संदत्त फीस का सबूत इस प्रकार संलग्न होगा, -
- (क) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में 3,000 (तीन हजार) रुपए, या
- (ख) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या उपभोक्ता संगम, या सहकारी सोसाइटी या न्यास के मामले में 6,000 (छह हजार) रुपए, या

- (ग) ऐसी फर्म (जिसके अंतर्गत प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हैं) या कंपनी (जिसके अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी भी है), पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका आवर्त दो करोड़ रुपये तक का रहा हो, के मामले में 25,000 (पच्चीस हजार) रुपए,
- (घ) ऐसी फर्म (जिसके अंतर्गत प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हैं) या कंपनी (जिसके अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी भी है), पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका आवर्त दो करोड़ रुपये से पचास करोड़ रुपये तक का रहा हो, के मामले में 60,000 (साठ हजार) रुपए,
- (ङ) अन्य सभी मामलों जो खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) में आवृत्त नहीं हैं, में 3,00,000 (तीन लाख) रुपए।
- (4) इस फीस को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक लागत मंहगाई सूचकांक के आधार पर आयोग द्वारा बढ़ाया या कम किया जा सकेगा।
- (5) इस फीस का संदाय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), नई दिल्ली के पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, देय आदेश या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), 'पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066" के खाता संख्याक 1988002100187687 में इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) द्वारा सीधे जमा कराके किया जा सकेगा।

51. निरीक्षण और प्रतिलिपि फीस.

- (1) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को, आवदेन किए जाने पर और सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों पर और दो हजार पांच सौ रुपये प्रति दिवस प्रति मामले की फीस का संदाय करने पर, उसके मामलों से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।
- (2) प्रमाणित प्रतियों की प्रदायगी के लिए फीस बीस रुपये प्रति पृष्ठ होगी।

52. आयोग द्वारा विशेष परामर्शी को पैनलबद्ध करना.

- (1) आयोग, अधिनियम की धारा 53क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या किसी अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए विधि व्यवसायियों या सनदी लेखाकारों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों का एक पैनल तैयार कर सकेगा।
- (2) महानिदेशक, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, पैनल से विधि व्यवसायियों या सनदी लेखाकारों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों को आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहायता के लिए बुला सकेगा।
- (3) किसी परामर्शी को संदेय अनुज्ञात पारिश्रमिक और अनुज्ञेय अन्य भत्ते और प्रतिकर, आयोग के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

53. आयोग की सहायता के लिए विख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित करना.

अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) या तद्वीन जारी दिशानिर्देशों पर कोई पतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग विख्यात विशेषज्ञों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसे समयों पर, जो आयोग विनिश्चित करे, अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा:

परंतु यह कि आयोग के पास, आयोग की सहायता के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की विशेषज्ञता या प्रसिद्धी के मूल्यांकन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

54. आयोग द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन और अनुश्रवण करना.

- (1) जहां आयोग की यह राय है कि अधिनियम की धारा 31 या धारा 48क या धारा 48ख या को अन्य उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन पारित उसके आदेशों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण करने की आवश्यकता है, वहां वह ऐसे कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आयोग उचित समझे, अभिकरणों की नियुक्ति कर सकेगा।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरण, मामले की कार्यवाही में सम्मिलित पक्षकारों से स्वतंत्र होंगी तथा यह संपुष्टि करेंगी कि उनका उक्त पक्षकारों के साथ हितों का कोई टकराव नहीं है।
- (3) इस विनियमन में निर्दिष्ट ऐसे अभिकरणों में लेखांकन फर्म, प्रबंधन परामर्शी, कोई अन्य व्यावसायिक संगठन या सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार सम्मिलित हो सकेंगे।
- (4) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व कारित करेंगे:
 - (क) अपने नियोजन के निबंधनों के अनुसार आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;
 - (ख) ऐसे आदेशों का कार्यान्वयन न होने या अननुपालन की सूचना आयोग को देना;
 - (ग) किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय या अधनीय हित का पर्याप्त रूप से प्रकटन करना, जिससे उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार उसके कर्तव्यों का पालन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
 - (घ) आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण से संबंधित रिपोर्ट, ऐसे आवधिक अंतराल पर प्रस्तुत करना जो आयोग निदिष्ट करे;
 - (ङ) अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्राप्त या एकत्रित जानकारी के संबंध में गोपनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना; और
 - (च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसके नियोजन के अधीन अनुबद्ध हैं या आयोग द्वारा निदिष्ट हैं।
- (5) आयोग उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरणों के नियोजन को ऐसी रीति से निलंबित या समाप्त कर सकेगा, जो उसके नियोजन के निबंधनों द्वारा अवधारित हो:

परंतु यह कि नियोजन के निबंधनों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, यदि आवश्यक समझे, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नियोजन को प्रतिसंहत कर सकेगा और ऐसे प्रतिसंहरण पर किसी विधि के न्यायालय में या अन्यथा में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
- (6) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरणों को संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (परिनिर्धारण) विनियम, 2024 के विनियम 3 या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 3 के अधीन आवेदन फाइल किया है या जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन) विनियम, 2024 के विनियम 9 के अधीन या आयोग द्वारा यथानिदिष्ट किसी अन्य मामले में, अभिकरणों द्वारा उत्तरदायित्वों के संतोषजनक निर्वहन के अध्ययीन, यथास्थिति, इसे आयोग के पास जमा कराके या आयोग द्वारा यथानिदिष्ट, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना फाइल की गई है।

55. प्रकाशन.

- (1) यदि आयोग लोक हित में ऐसी वांछा करता है तो वह अपने आदेशों या निर्णयों के संक्षिप्त सार या पूर्ण पाठ को मीडिया में प्रकाशित करा सकेगा, किंतु ऐसा करते समय, संबंधित व्यक्तियों के कारबार रहस्यों का ध्यान रखा जाएगा और आदेश या निर्णय के ऐसे भागों को हटा देने का निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।
- (2) आयोग द्वारा, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (6) या उपधारा (9) के अधीन मामला समाप्त करने का निदेश देने वाले या अधिनियम की धारा 27 या धारा 28 या धारा 31 या धारा 33 या धारा 42 के अधीन दिए गए सभी आदेश या निर्णय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।
- (3) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस विनियम में निर्दिष्ट आदेशों या निर्णयों का प्रकाशन करे।

56. कठिनाईयों को दूर करना.

इन विनियमों के कार्यान्वयन के विषय में यदि कोई संदेह या कठिनाई उदभूत होती है तो उस पर आयोग का विनिश्चय बाध्यकर होगा।

57. निरसन और व्यावृत्तियां.

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009, उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत्त होंगे।
- (2) ऐसे निरसन किसी बात के होते हुए भी, –
 - (क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित किए गए विनियमों के अधीन, किया गया कुछ भी या की गई या किया जाना या की गई तात्पर्यित कोई कार्रवाई, या कोई कार्यवाही या निर्णय, आरंभ की गई जांच या आरंभ किया गया अन्वेषण, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया जाना या किया गया माना जाएगा;
 - (ख) निरसित विनियमों का प्रवर्तन या तदधीन सम्यक रूप से किया गया या भुक्त कुछ भी, तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या तदधीन घटित कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेंगे मानो निरसित विनियम कभी निरसित ही न किए गए हों;
 - (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के निरसन के पश्चात्, आयोग द्वारा जारी उनके कोई प्रतिनिर्देश जिसके अंतर्गत कोई विनियम, निदेश या विनिश्चय भी है, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों का प्रतिनिर्देश होना माना जाएगा।

इंदर पाल सिंह बिंद्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./497/2024-25]

अनुलग्नक

(विनियम 4 देखें)

1. मुद्रा



2. प्रतीक



THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2024

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA (GENERAL) REGULATIONS, 2024**(No. 08 of 2024)**

No. CCI/ Reg-G.R./08/ 2024-25. – In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

- (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (b) “Advocate” means an advocate as defined in the Advocates Act, 1961;
- (c) “Chairperson” means the Chairperson appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act;
- (d) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (e) “Counsel” means a legal practitioner or a chartered accountant or a company secretary or a cost accountant as defined in the explanation to section 35 of the Act;
- (f) “Director General” means the Director General appointed under sub-section (1) of section 16 of the Act and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under that section;
- (g) “Electronic Form” shall have the same meaning as assigned to it under section 2(1)(r) of the Information Technology Act, 2000;
- (h) “Expert” means an expert engaged to assist the Commission under sub-section (3) of section 17 of the Act or an expert called upon by any party to provide opinion in connection with any matter related to a case under sub-section (2) of section 35 of the Act or an expert called upon to assist the Commission in any inquiry or proceeding under sub-section (3) of section 36 of the Act;
- (i) “Interlocutory Application” means an application filed before the Commission during pendency of, a case instituted under section 19 of the Act or proceedings initiated pursuant to a Miscellaneous Application, except submissions made in compliance of any order or direction of the Commission;
- (j) “Media” includes newspapers, magazines, periodicals, journals, radio, cinema, television and internet;
- (k) “Miscellaneous Application” means an application filed before the Commission post passing of final order in a case instituted under section 19 of the Act, except submissions made in compliance of any order or direction of the Commission;
- (l) “Ordinary Meeting” shall have the same meaning as assigned to it in the Competition Commission of India (Meetings for Transaction of Business) Regulations, 2009;
- (m) “Reference” means a reference—
 - (i) received in the Commission from the Central Government or a State Government or a statutory authority under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act, or
 - (ii) received in the Commission from a statutory authority under section 21 of the Act for opinion, or
 - (iii) sent to a statutory authority for opinion by the Commission under section 21A of the Act, or
 - (iv) received in the Commission from the Central Government or a State Government for opinion under sub-section (1) of section 49 of the Act.
- (n) “Secretary” means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorized by the Chairperson to function as Secretary;
- (o) “Tribunal” means National Company Law Appellate Tribunal referred to under sub-section (1) of section 53A of the Act;

- (p) “Working Day” for the office of the Commission at New Delhi or any other office of the Commission means the day on which it functions but does not include Saturday or Sunday or any other day which is declared to be a public holiday by the Central Government under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) for New Delhi or for such other place, as the case may be.

- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as the case may be.

3. Powers to determine procedure in certain circumstances.

In a situation not provided for in these regulations, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

4. Seal and emblem.

The official seal and emblem (with tagline) of the Commission shall be such as indicated by a drawing given in Annexure.

5. Language of the Commission.

The language of the Commission shall be English.

6. Filing of documents in Hindi.

Notwithstanding anything contained in these regulations, the parties may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided that no information, reference or other papers contained in any language other than English shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a true translation thereof in English as stipulated in regulation 7.

7. Translation of documents.

A document translated in English shall be accepted by the Commission as true translation if:

- (a) the counsel for the party certifies the translation to be a true translation; or
- (b) the translation is done by an official translator of any Court; or
- (c) the translation is done by an official translator of any authority/ body, central or state government, which is also accepted by the Courts as true translation:

Provided that a translation, which is agreed to by all the parties to the proceedings, may also be accepted by the Commission, in appropriate cases, as a true translation.

8. Holidays to be observed by the Commission.

- (1) The head office of the Commission shall observe, besides Saturday and Sunday, holidays as declared by the Central Government at Delhi under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).
- (2) Any other office of the Commission at places other than Delhi shall observe, besides Saturday and Sunday, holidays as declared by the Central Government under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) for such place.

9. Computation of time.

- (1) Where a period of time dates from a given day, act or event is prescribed by or allowed under these regulations for doing an act or taking a proceeding, the time shall be reckoned exclusive of the said day, or of the day of the act or event, from which the time runs.
- (2) Where the time prescribed by or allowed under these regulations for doing an act or taking a proceeding expires on a Saturday or Sunday or on a day on which the office of the Commission is closed, the act may be done or the proceeding may be taken on the first working day following the Saturday, Sunday or the day on which that office is closed.

10. Contents of information or the reference.

- (1) The information or reference filed under section 19 of the Act shall, *inter alia*, separately and categorically state the following *in seriatum*-
 - (a) legal name of the person or the enterprise giving the information or the reference;
 - (b) complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code;

- (c) contact details (telephone number, mobile number including country/ city/ area code, electronic mail address);
 - (d) legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any; and
 - (e) legal name and address(es) of the enterprise(s) alleged to have contravened the provisions of the Act.
- (2) The information or reference referred to in sub-regulation (1) shall contain –
- (a) a statement of facts with chronology of events;
 - (b) details of the alleged contraventions of the Act together with a list enlisting all documents, affidavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions;
 - (c) the date on which the cause of action had arisen;
 - (d) a succinct narrative in support of the alleged contraventions;
 - (e) whether same or substantially same facts and issues raised in the information or reference, as the case may be, have already been decided by the Commission in any of its previous order(s), along with details thereof;
 - (f) relief sought, if any;
 - (g) details of litigation or dispute pending, if any, between the informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitrator in respect of the subject matter of information; and
 - (h) such other particulars as may be required by the Commission.
- (3) If the information or reference referred to in sub-regulation (1) is filed after three years from the date on which the cause of action had arisen, it shall be accompanied with an interlocutory application seeking condonation of delay demonstrating sufficient cause for the delay, together with applicable fee in terms of sub-regulation (2) of regulation 50 of these regulations.
- (4) The contents of the information or the reference mentioned under sub-regulations (1) and (2), along with the appendices and attachments thereto, as well as application under sub-regulation (3), shall be complete and duly supported with an affidavit of the person submitting it duly verifying the contents of the same.

11. Signing of information or reference.

- (1) An information or a reference or a reply to a notice or direction issued by the Commission shall be signed by–
- (a) the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship firm;
 - (b) the Karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF);
 - (c) the Managing Director, any other Director or any employee duly authorized by the board of directors in the case of a company;
 - (d) the President or the Secretary or any employee in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body;
 - (e) a partner in the case of a partnership firm or any employee duly authorized by the partnership firm;
 - (f) the chief executive officer or any employee/ officer thereof duly authorised by the Board, in the case of a co-operative society or local authority;
 - (g) in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf.
- (2) A reference shall be signed and authenticated by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Officer or any other officer duly authorised by the Board of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority.
- (3) Without prejudice to the provisions of this regulation, the counsel may also append his or her signature to the information or reference as the case may be.

12. Procedure for filing of information or reference.

- (1) Information or reference or responses thereto to the Commission shall be presented to the Secretary or to an officer authorized in this behalf by the Secretary, in person or sent by registered post or courier service or facsimile transmission addressed to the Secretary or to such authorized officer.

- (2) Any separate or additional document(s) that the information provider wishes to rely upon in support of its information or reference, as the case may be, shall be filed in the form of a “Paper Book”, within 14 (fourteen) days of filing the information or reference, as the case may be. Such documents shall be serially numbered, prefaced by an index and shall be duly supported with an affidavit of the person submitting it duly verifying the contents of the same.
- (3) An information(s) or reference sent by post or courier service or facsimile transmission under sub-regulation (1) shall be deemed to have been presented to the Secretary or to the officer authorized by the Secretary, on the day on which it is received in the office of the Secretary or the authorized officer, as the case may be.

13. Procedure for filing of information or reference in electronic form.

Subject to the provisions of regulations 10 and 11, information or a reference to the Commission may be sent by a person or an enterprise to the Secretary in an electronic form duly authenticated with digital signature and/or electronic signature by the subscriber as and when so desired by the Commission through a public notice.

Explanation – For the purpose of this regulation, –

- (a) “digital signature” means the digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (b) “electronic form” with reference to an information or a document means the electronic form as defined under clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (c) “electronic signature” means electronic signature as defined under clause (ta) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (d) “subscriber” means the subscriber as defined under clause (zg) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

14. Filing of further submissions.

The following provisions of these regulations with respect to filing and signing shall be applicable upon all further submissions including replies, letters, documents, applications, objections or suggestions *etc.*, filed by any party:

- (a) clauses (a), (b) and (c) of sub-regulation (1) of regulation 10;
- (b) sub-regulation (4) of regulation 10;
- (c) sub-regulation (1) of regulation 11;
- (d) sub-regulation (3) of regulation 11;
- (e) sub-regulation (1) of regulation 12;
- (f) sub-regulation (3) of regulation 12; and
- (g) regulation 13:

Provided that the provisions contained in clauses (b) and (c) above shall not be applicable upon applications seeking extension of time and/ or adjournment, filed by a party.

15. Powers and functions of the Secretary.

- (1) The Secretary shall have the custody of records of the Commission and shall exercise such other functions as may be assigned by the Chairperson.
- (2) Subject to the Competition Commission of India (Meetings for Transaction of Business) Regulations, 2009, the Secretary shall circulate to all concerned, the date, time and place of each meeting, as per the directions of the Chairperson.
- (3) The Secretary shall be the nodal officer on behalf of the Commission for, –
 - (a) making or receiving all statutory communications:

Provided that the Chairperson may also authorize other Officers of the Commission for the purpose.

- (b) entering into any formal relationships, including signing of any memorandum or arrangement, with competition authority or any agency of any foreign country, with the prior approval of the Commission and the Central Government, as per section 18 of the Act.

- (c) entering into any formal relationships, including signing of any memorandum or arrangement, with any statutory authority or department of the Government, with the prior approval of the Commission, as per section 18 of the Act.
- (4) The Commission may sue or be sued in the name of the Secretary and the Commission shall be represented in the name of the Secretary in all legal proceedings, including appeals before the Tribunal.
- (5) Subject to the provisions of section 51 of the Act, the Secretary shall assist the Committee of Members constituted under sub-section (3) of section 51 of the Act for, –
 - (a) preparation and approval of the annual budget of the Commission;
 - (b) administration of the competition fund.
- (6) The Secretary shall keep in custody the official seal of the Commission. The official seal of the Commission shall not be affixed to any document including the certified copies of the orders of the Commission, save and under the authority in writing of the Secretary.
- (7) Subject to sub-regulation (1), to ensure a timely and efficient disposal of the matters brought before the Commission and for achieving the objectives of the Act, the Secretary shall have the following powers and functions, –
 - (a) to receive, endorse and categorize all the information, references, applications or documents;
 - (b) to check the amount of fee received where applicable and to ensure the timely deposit of the same in the bank account of the Commission;
 - (c) to scrutinize all information, references, applications or documents so received to find out whether they are in conformity with the rules and regulations;
 - (d) to point out defects in such information(s), references, applications or documents to the parties requiring them to rectify such defects;
 - (e) to serve copy of the information, reference, application or document along with the enclosures to the concerned parties including the Director General, within a reasonable time;
 - (f) to serve the notice of the date of the ordinary meeting of the Commission to consider the information or reference or document to decide if there exists a *prima facie* case and to convey directions of the Commission for investigation or to issue notice of inquiry after receipt and consideration of the report of the Director General;
 - (g) to bring on record executors, administrators or other legal representatives, in case of death of any party or adjudication of a party as insolvent, upon an application by any party to the proceedings;
 - (h) to verify the service of notice or other processes and to ensure that the parties are properly served;
 - (i) to requisition records on the direction of the Commission from the custody of any authority;
 - (j) to allow inspection of records of the Commission;
 - (k) to return the documents filed by any party or authority on orders of the Commission;
 - (l) to certify and issue copies of the orders of the Commission to the parties;
 - (m) to grant certified copies of documents filed in the proceedings to the parties, in accordance with these regulations;
 - (n) to grant certified copies of the orders of the Commission for publication, in accordance with these regulations;
 - (o) to dispose of all matters relating to the service of notices or other related processes, applications for issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a party including a substituted service by publication of notice by way of advertisement in the newspaper or putting it on the website, as the case may be;
 - (p) to compile and preserve record of any proceeding during an ordinary meeting including: -
 - (i) the chronology of events;
 - (ii) the initiating document;
 - (iii) the notice of the meeting;
 - (iv) report of the Director General, if any;

- (v) opinion of expert, if any;
- (vi) any interim order made;
- (vii) all documentary evidence filed;
- (viii) the transcript, if any, of the oral evidence given;
- (ix) the final order or decision of the Commission;
- (q) to disclose information subject to section 57 of the Act;
- (r) to ensure confidentiality of documents or evidences or statements or any analysis as per these regulations, by keeping them in safe custody;
- (s) to undertake maintenance of records including weeding out of records in accordance with retention schedule in force and in accordance with directions of the Chairperson issued from time to time;
- (t) to file complaint before the Chief Metropolitan Magistrate, Delhi for non-compliance with the orders or directions of the Commission under sub-section (3) of section 42 of the Act, if so directed by the Commission.

16. Procedure for scrutiny of information or reference.

- (1) Each information or reference received in the Commission shall be scrutinized by the Secretary to check whether it conforms to these regulations and the defects, if any, shall be communicated to the party within a reasonable time not exceeding, –
 - (a) 15 (fifteen) days in case of an information or reference received under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act; or
 - (b) 7 (seven) days in case of a reference received under section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act.
- (2) The information provider referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act or the Central Government or the State Government or the statutory authority referred under clause (b) of sub-section (1) of section 19 or in sub-section (1) of section 49 of the Act, as the case may be, shall, on receipt of the communication about the defects under sub-regulation (1), remove the defects within: -
 - (a) 30 (thirty) days of receiving the intimation in case of an information or reference under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act; or
 - (b) 15 (fifteen) days of receiving the intimation in case of a reference under section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act.
- (3) In case the defects are not removed by the Central Government or the State Government or the statutory authority or the concerned party, as the case may be, as per the provision of sub-regulation (2), the information or the reference or the application connected therewith shall be treated as invalid:

Provided that the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the concerned party shall be entitled to file fresh information, reference or application for consideration by the Commission together with applicable fees.
- (4) In the event of the information having been treated as invalid under sub-regulation (3), the fee paid on such information shall stand forfeited.
- (5) Nothing contained herein above shall preclude the Commission from using the contents of such information or reference in any manner as may be deemed fit, for inquiring into any possible contravention of any provision of the Act:

Provided that the time taken in removing the defects in such references shall not count towards the period of 60 (sixty) days provided for giving of opinion by the Commission in sub-section (2) of section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act, as the case may be.
- (6) Every Interlocutory or Miscellaneous Application filed in a case shall be registered and numbered. All such applications shall be scrutinized within 7 (seven) days and defects, if any, shall be communicated to the party. The party making application shall remove the defects and submit the same within 7 (seven) days from the receipt of communication failing which the application shall be treated as invalid.

17. Opinion on existence of *prima facie* case.

- (1) The Secretary, after scrutiny and removal of defects, if any, in an information or reference, as the case may be, shall place the same before the Commission to form its opinion on existence of a *prima facie* case.
- (2) In cases of alleged anti-competitive agreements and/ or abuse of dominant position, the Commission shall, as far as possible, record its opinion on existence of a *prima facie* case within 60 (sixty) days.
- (3) The Commission shall, as far as possible, hold its first ordinary meeting to consider whether *prima facie* case exists, within 15 (fifteen) days of the date of placement of the matter by the Secretary under sub-regulation (1).

18. Preliminary conference.

- (1) The Commission may, if it deems necessary, call for a preliminary conference to form an opinion whether a *prima facie* case exists.
- (2) The Commission may invite the information provider and such other person as is necessary for the preliminary conference.
- (3) A preliminary conference need not follow formal rules of procedure.

19. Issue of direction to cause investigation on *prima facie* case.

- (1) Where the Commission is of the opinion that a *prima facie* case exists, the Secretary shall convey the directions of the Commission within 7 (seven) days to the Director General to investigate the matter.
- (2) A direction of investigation to the Director General shall be deemed to be the commencement of an inquiry under section 26 of the Act.
- (3) Where the Commission has formed an opinion that a *prima facie* case of contravention of the provisions of sub-section (4) of section 3 of the Act or section 4 of the Act exists, the Secretary shall also convey the directions of the Commission within 7 (seven) days to the parties concerned by serving upon them, a copy of the order passed by the Commission.

20. Communication of order passed under Section 26(2) or 26(2A) of the Act.

- (1) If the Commission is of the opinion that there exists no *prima facie* case, the Secretary shall send a certified copy of the order of the Commission regarding closure of the matter forthwith to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, as provided in sub-section (2) of section 26 of the Act.
- (2) If the Commission is of the opinion that same or substantially the same facts and issues raised in an information or reference received in the Commission, as the case may be, have already been decided by the Commission in any of its previous order(s), the Secretary shall send a certified copy of the order of the Commission regarding closure of the matter under sub-section (2A) of section 26 of the Act forthwith to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be.

21. Investigation by Director General.

- (1) The Secretary shall, while conveying the directions of the Commission under regulation 19, send a copy of the information or reference, as the case may be, with all other documents or materials or affidavits or statements which have been filed either along with the said information or reference or thereafter or at the time of preliminary conference, by any party, to the Director General.
- (2) The Commission shall direct the Director General to submit a report within such time as may be specified by the Commission which ordinarily shall not exceed 90 (ninety) days from the date of receipt of the directions of the Commission.
- (3) The Commission may, on an application made by the Director General, giving sufficient reasons extend the time for submission of the report by such period as it may consider reasonable.
- (4) The report of the Director General shall contain his findings together with all the evidences or documents or statements or analyses relied upon in the investigation report:

Provided that the Director General shall also, along with the report, forward to the Commission, all evidences or documents or statements or analyses collected during the investigation, which shall be called the case record:

Provided further that when considered necessary, the Director General may, for maintaining confidentiality, submit his report and case record in two parts. One of the parts shall contain the documents to which access to the parties may be accorded and another part shall contain confidential information and documents to which access may be partially or totally restricted.

- (5) Five copies of the report of the Director General, along with an electronic copy in pdf format, shall be forwarded to the Secretary within the time specified by the Commission:

Provided that the Secretary may ask for more copies of the report as and when required.

- (6) If the Commission, on consideration of the report, is of the opinion that further investigation is called for, it may direct the Director General to make further investigation and submit a supplementary report on specific issues within such time as may be specified by the Commission but ordinarily not later than 60 (sixty) days.

22. Procedure for inquiry under section 26 of the Act.

- (1) Upon receipt of the investigation report from the Director General in terms of sub-section (3) of section 26 of the Act, the Secretary shall place the same for consideration of the Commission within a period of 04 (four) weeks.
- (2) The Commission, upon consideration of the investigation report of the Director General received under sub-regulation (1), may either:
 - (i) direct the Secretary to forward a physical or electronic copy of the non-confidential version of the report to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, for filing objections or suggestions, if any, thereto, within a period of 08 (eight) weeks from the receipt of the report; or
 - (ii) order further investigation to be made by the Director General in the matter in terms of sub-section (3A) of section 26 of the Act; or
 - (iii) cause further inquiry to be made or itself proceed with further inquiry in the matter, as the Commission deems fit.
- (3) The Commission may, while directing to forward the investigation report of the Director General to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, for filing objections or suggestions, if any, thereto, also direct the parties concerned to file their financial information including financial statements, in accordance with the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024 and the Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024.
- (4) Upon receipt of objections or suggestions under sub-regulation (2) from the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, the Commission may either:
 - (i) pass a final order closing the matter under sub-section (6) of section 26 of the Act or pass an order under section 27 of the Act; or
 - (ii) order further investigation to be made by the Director General in the matter in terms of sub-section (7) of section 26 of the Act; or
 - (iii) cause further inquiry to be made or itself proceed with further inquiry in the matter in terms of sub-sections (7) or (8) of section 26 of the Act.
- (5) Upon receipt of the supplementary investigation report from the Director General, the Secretary shall place the same for consideration of the Commission within 04 (four) weeks.
- (6) The Commission, upon consideration of the supplementary investigation report of the Director General received under sub-regulation (5), may either:
 - (i) direct the Secretary to forward a physical or electronic copy of the non-confidential version of the report to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, for filing objections or suggestions, if any, thereto, within a period of 08 (eight) weeks from the receipt of the report; or
 - (ii) cause further inquiry to be made or itself proceed with further inquiry in the matter, as the Commission deems fit.

- (7) Upon receipt of objections or suggestions under sub-regulation (6) from the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, on the supplementary investigation report, the Commission may either:
 - (i) pass a final order closing the matter under sub-section (9) of section 26 of the Act or pass an order under section 27 of the Act; or
 - (ii) cause further inquiry to be made or itself proceed with further inquiry in the matter in terms of sub-sections (7) or (8) of section 26 of the Act.
- (8) Upon completion of further inquiry in terms of sub-sections (7) or (8) of section 26 of the Act, the Commission may pass a final order closing the matter under sub-section (9) of section 26 of the Act or pass an order under section 27, before which it shall issue a show-cause notice to the parties concerned, in terms of the *proviso* to sub-section (9) of section 26 of the Act, indicating the contraventions alleged to have been committed and the time period for responding to the notice.
- (9) Upon receipt of reply to the show-cause notice referred to in sub-regulation (8) from the parties concerned, and after giving them a reasonable opportunity to be heard, the Commission may pass a final order closing the matter or pass an order under section 27 of the Act.
- (10) The Secretary shall convey the final orders passed by the Commission to the Central Government or the State Government or the statutory authority or the parties concerned, as the case may be, by providing them a certified copy thereof.
- (11) On a report given by an officer authorized by the Commission justifying the production of specified books or other documents, as may be required to make further inquiries under this regulation, the Commission may direct any person to produce such specified books or other documents relating to any trade carried out by such person or enterprise, as per the provisions of sub-section (4) of section 36 of the Act.

Explanation – For the purpose of this sub-regulation, the word “officer” shall include the experts and professionals mentioned under sub-section (3) of section 17 or sub-section (3) of section 36 of the Act.
- (12) The Secretary shall keep the Director General informed of the dates of the meetings of the Commission for inquiry to appear in person or through any of his officers in accordance with the provisions of section 35 of the Act.

23. Mode of service of notice, etc.

- (1) Every notice or other document required to be served on or delivered to any person under these regulations, may be served personally or sent by electronic mail address, or by registered post or by speed post or by courier service at the address furnished by him or her or it for service, or at the place where the person ordinarily resides or carries on business or occupation or works for gain, or to his or her or its authorised representative at the address furnished by such person or its authorised representative:

Provided that it shall be duty of the person who has furnished the address or the electronic mail address or details of authorised representative, to update the same in the records of the Commission from time to time, as and when necessary, else the service made at the address or the electronic mail address available on record shall be sufficient.
- (2) An endorsement made by a postal or courier employee that the addressee or his agent has refused to take delivery of the notice shall be deemed to be proof of service by way of refusal.
- (3) An electronic mail shall be deemed to be delivered if properly addressed or directed to the recipient, in a form capable of being read by the other parties' system, when it is out of the control of the sender and enters the information processing system of the recipient for receiving such messages, whether or not opened or seen by the recipient.
- (4) In case the postal or courier employee reports that the addressee has since left or is not available at the given address, the Commission relying on the information so furnished, may take a view as it may deem appropriate and may proceed to take steps for substituted service.
- (5) Where summons or notice was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement due, and the acknowledgement having been lost or mislaid or for any other reason, has not been received by the Commission within 30 (thirty) days from the date of issue of summons, the Commission may deem the service to be sufficient and may make a declaration accordingly.
- (6) Where the service of notice is not possible under the above referred modes and where the addressee cannot be found or is not traceable, the service may be effected by way of affixing a copy of summons or

notice on the conspicuous part of the house in which the recipient ordinarily resides, the service may be deemed to be sufficient in view of Rule 20 of Order V of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

- (7) Where the Commission is satisfied that the recipient of the notice is avoiding service or that for any other reason notice cannot be served in the ordinary way, it shall order service by an advertisement in the daily newspaper circulated in the locality where the recipient is last known to have resided.

24. Filings before Commission.

- (1) All information(s) or references or responses thereto, or other documents which are required to be filed before the Commission shall be typed in Arial 12 fonts on both side of A4 size (210 x 297mm or 8.27"x11.69") white bond paper in double space with 2" margin on the left and 1" margin on all other sides:

Provided that no filings shall be allowed to be made upon letter-heads of any person.

- (2) Only neat and legible photocopies or scanned documents duly certified as true copies may be filed as exhibits or annexes.
- (3) Two copies of each document referred to in sub-regulation (1), in addition to an electronic copy in pdf format, wherever possible, shall be filed (one original and one copy):

Provided that the Secretary may, through public announcement, increase or decrease the number of copies depending on the number of Members of the Commission and the number of parties to the proceedings:

Provided further that the Secretary may, through public announcement, vary the format in which the electronic copy is to be filed.

25. Power of Commission to join or substitute parties in proceedings.

- (1) The Commission, on an application made in writing, by any party to the proceedings, may combine any number of persons or enterprises, whether jointly, jointly and severally, separately, or in the alternative, as parties in the same proceedings, in an ordinary meeting if, –
 - (a) any right to relief in respect of, or arising out of, the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist in such applicants, whether jointly, severally or in the alternative;
 - (b) the applicants can show, to the satisfaction of the Commission, that common question of law or fact would arise; and
 - (c) the Commission is satisfied that participation of such person or enterprise, as the case may be, is necessary for the determination of the issues before it.
- (2) If in any proceedings it becomes necessary to substitute a person or enterprise for an existing party, the Commission, may make an order of such substitution.
- (3) On an application made, by a party admitted to the proceedings under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), in terms of regulation 38 of these regulations, the Secretary shall furnish to it, certified copies of the documents sought, within 10 (ten) days.
- (4) No order under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall affect any prior steps taken in the proceedings.

26. Power of Commission to permit a person or enterprise to take part in proceedings.

- (1) While considering a matter in an ordinary meeting, the Commission, on an application made to it in writing, if satisfied, that a person or enterprise has substantial interest in the outcome of proceedings and that it is necessary in the public interest to allow such person or enterprise to present his or its opinion on that matter, may permit that person or enterprise to present such opinion and to take part in further proceedings of the matter, as the Commission may specify.
- (2) The application referred to in sub-regulation (1) shall be accompanied by proof of payment of fees, in accordance with sub-regulation (1) of regulation 50.
- (3) The application referred to in sub-regulation (1) shall contain, –
 - (a) legal name of the person or the enterprise making the request;
 - (b) address in India for service of notice or documents;
 - (c) contact details (telephone number, mobile number including country/ city/ area code, and electronic mail address);

- (d) a concise statement of the matters in issue in the proceedings which affect the person or the enterprise making the request;
 - (e) documents or affidavits or evidence in support of the statement, with a list thereof.
- (4) On an order made under sub-regulation (1), if an application is made, by the person or enterprise permitted to participate in the proceedings, in terms of regulation 38 of these regulations, the Secretary shall furnish to it, certified copies of the documents sought, within 10 (ten) days.

27. Power to strike out unnecessary party.

The Commission may, on its own motion or on an application by a party to the proceedings before it, during an ordinary meeting, stating that no relief has been claimed by or against him or that no relief has to be granted to or against him, permit the striking out of such party from the proceedings.

28. Power of Commission to join multiple information.

- (1) At any time after receipt of an information or a reference or an application, the Commission, if satisfied that the matter raised in any information or reference or application received subsequently is directly and substantially similar, may consolidate two or more similar information or references or applications, as the case may be, for consideration.
- (2) At any time after receipt of an information or a reference for investigation from the Commission under sub-section (1) of section 26 of the Act, the Director General, if satisfied, that the matter raised in any information or reference received subsequently for investigation from the Commission is directly and substantially similar, may request the Commission to consolidate such similar information or references, as the case may be, for common investigation.
- (3) Where the Commission consolidates two or more information or references or applications, in accordance with sub-regulation (1) and sub-regulation (2), –
 - (a) each such information or references, as the case may be, shall continue to be separately identified by its own docket number;
 - (b) pending consolidation of information or references by the Commission, the Director General may continue to investigate the matters.

29. Amendment of information.

The Commission may permit amendment of any information, upon an application made in this regard but such amendment shall not be allowed if it substantially changes the nature and scope of the information.

30. Manner of making submissions or arguments by parties before Commission.

- (1) Without prejudice to sub-section (1) of section 36 of the Act, the parties to the proceedings or their authorized representatives, as the case may be, shall declare to the Commission at the earliest opportunity whether they would make oral submissions or file written arguments during the course of an inquiry under section 26 of the Act.
- (2) Subject to sub-regulation (1), the Commission may fix or limit the time during which the oral submissions or written arguments shall be addressed or filed by the parties or their authorized representatives, as the case may be, before it and may proceed to decide a matter in the absence of the party which does not abide by such timings as per regulation 31.

31. Power of the Commission to continue proceedings in absence of party.

- (1) Where on the day fixed for any particular matter during an ordinary meeting, including the day of the meeting re-fixed on adjournment, if any party or parties to the proceeding do not appear even after service of notice or having noted the date, the Commission may decide to continue proceedings in the absence of party or parties, as the case may be, and pass appropriate orders as it deems fit.
- (2) If any party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the stipulated time or significantly impedes investigation, the Commission may pass such order as it may deem fit on the basis of available facts.
- (3) Where an order has been passed by the Commission under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) and the party shows that it was prevented from participating in the proceeding before the Commission and/ or furnishing the information required, for reasons beyond its control, the Commission, on being satisfied, may recall the order.

32. Interim order.

- (1) Where the Commission, during an inquiry, has, by an order, temporarily restrained any party from carrying on any act in contravention of sub-section (1) of section 3 or sub-section (1) of section 4 of the Act, until the conclusion of such inquiry or until further orders, under section 33 of the Act, such order, if any, shall be signed and dated by the Members, including a dissenting note by the dissenting Member, if that be the case, and shall be made at the earliest.
- (2) Where during an inquiry, the Commission has passed interim order, referred to in sub-regulation (1), it shall hear the party against whom such an order has been made thereafter, as soon as possible.
- (3) Where in a case an interim order under Section 33 of the Act has been passed, a final order, as far as possible, shall be passed by the Commission, within 180 (one hundred and eighty) days from the date of interim order.

33. Final order.

- (1) Every order of the Commission shall be signed and dated by the Members including a dissenting note by the dissenting Member, if that be the case.
- (2) Every order or decision of the Commission shall, as far as practicable, be made within 21 (twenty-one) working days from the date of conclusion of final arguments.
- (3) A copy of the order duly certified by the Secretary or such other officer authorized by the Secretary shall be served on the parties to the proceeding as provided in regulation 23 within 4 (four) weeks of the date of the order.

34. Reference from statutory authority or the Central Government or a State Government.

- (1) A reference from statutory authority under section 21 of the Act or the Central Government or State Government under section 49 of the Act for opinion made to the Commission shall contain such particulars as may be specified by the Commission.
- (2) Without prejudice to sub-regulation (1), a reference from statutory authority under section 21 of the Act, shall contain: -
 - (a) the specific proposition of law or fact or specific issue or policy or any other matter relating to competition on which the opinion is solicited;
 - (b) background and historical data relevant for the determination of the proposition or the issue or the policy or any other matter;
 - (c) duly authenticated copies of the relevant statutes including the rules, the regulations, the notifications, the orders as considered necessary, if applicable;
 - (d) duly authenticated and updated list of the parties with their complete addresses, telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses;
 - (e) proof of having informed the parties concerned about the matter having been referred to the Commission for opinion under section 21 of the Act, if applicable.
- (3) The time to be reckoned for giving opinion on such reference under section 21 of the Act shall be subject to the proviso to sub-regulation (5) of regulation 15.
- (4) On being satisfied that the reference is complete, the Secretary shall place it during an ordinary meeting of the Commission and seek necessary instructions regarding the parties to whom notice of meeting is to be issued.
- (5) The Secretary shall give notice of the ordinary meeting to the said parties giving not less than 10 (ten) days, in the manner specified, to take part in the proceedings.
- (6) The parties to whom the notices are issued under sub-regulation (5), may file comments or reply to the notice after having served a copy thereof to each party within 7 (seven) days of receipt of the notice.
- (7) The Commission may call upon a representative of the statutory authority or the Central Government or the State Government or an expert in the field for discussion or evidence as it may consider necessary in the matter.
- (8) The Commission may collect particulars and information from any person or enterprise or Central or State Government or statutory authority, which in its opinion is relevant to the reference received by the Commission.

- (9) The Commission may form an opinion and send the same to the concerned parties and seek their objections and/or suggestions thereon within the time decided by it and after considering such objections or suggestions it shall give its final opinion to the statutory authority or the Central Government or the State Government, as the case may be.
- (10) In case the reference has been made by a statutory authority *suo motu*, the same may be exempt from application of the provisions contained in clauses (d) and (e) of sub-regulation (2) and sub-regulations (5), (6) and (9).

35. Reference by the Commission to statutory authority for opinion.

- (1) A reference from the Commission to any statutory authority for opinion under section 21A of the Act shall contain, –
 - (a) the specific proposition of law or fact or specific issue relating to competition on which the opinion is solicited;
 - (b) background and historical data relevant for the determination of the proposition or the issue;
 - (c) duly authenticated copies of the Act, the relevant rules and regulations framed thereunder, the notifications and the orders, if any, passed by the Commission in the pending matter as considered necessary;
 - (d) duly authenticated and updated list of the parties with their complete addresses, telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses *etc.*;
 - (e) proof of the Secretary having informed the parties concerned about the matter having been referred to the statutory authority for opinion under section 21A of the Act;
 - (f) the Secretary shall certify that the reference being forwarded is in conformity with clauses (a) to (e):

Provided that in case the reference is being made by the Commission *suo motu*, the same may be exempt from application of the provisions contained in clauses (d) and (e) above.

- (2) Where the statutory authority seeks additional information in the reference made, the Secretary shall, as far as practicable, provide such additional information to the concerned statutory authority within 15 (fifteen) days of receipt of the same from the statutory authority.
- (3) In case the opinion is not received from the statutory authority within 60 (sixty) days of forwarding a reference under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the Secretary shall place the matter during an ordinary meeting of the Commission for further orders.
- (4) On receipt of the opinion from the statutory authority by sub-section (2) of section 21A of the Act, the Secretary shall place the same during an ordinary meeting of the Commission for orders.

36. Confidentiality.

- (1) The Commission shall maintain confidentiality of the identity of an Informant on a request made to it in writing:

Provided that where it is necessary or expedient to disclose the identity of the Informant for the purposes of the Act, the Commission may do so after providing a reasonable opportunity to the Informant, to represent its case before the Commission.

- (2) A party seeking confidentiality over the information or the document(s) furnished by it shall set out cogent reasons for such treatment and shall self-certify that making the information or document(s) or part(s) thereof public will result in disclosure of trade secrets or destruction or appreciable diminution of the commercial value of any information or can be reasonably expected to cause serious injury. Further, the party shall confirm the following, along with the date on which such confidential treatment shall expire, on self-certification basis:
 - (a) that the information is not available in the public domain;
 - (b) that the information is known only to limited employees, suppliers, distributors and others involved in the party's business;
 - (c) that adequate measures have been taken by the party to guard the secrecy of the information;
 - (d) that the information cannot be acquired or duplicated by others.

The party claiming confidentiality shall provide an undertaking in the form of an affidavit certifying the claims in terms of the requirements as above and such undertaking shall be filed by either the party itself

or any of its employee, who has been duly authorised by the party to issue such authorisation on behalf of the party concerned:

Provided that the parties furnishing false undertaking shall be liable to be proceeded against, as per the provisions of the Act.

- (3) The party claiming confidentiality shall file a complete version of such information or document(s) with the words 'restriction of publication claimed' in red ink on top of the first page, the word 'confidential' clearly and legibly marked in red ink near the top on each page, and the content on which confidentiality has been claimed highlighted/ typed in red ink, together with a non-confidential version thereof, which shall redact/ not contain such information or document(s) or part(s) thereof upon which confidentiality has been claimed.
- (4) The non-confidential version of such information or document(s) shall be an exact copy of the confidential version with the omissions of the confidential information being indicated in a conspicuous manner, as stipulated in sub-regulation (3).
- (5) The information or document(s) or part(s) thereof that have been claimed to be confidential under this regulation shall be segregated from the non-confidential record and kept securely, bearing the title, the docket number of the proceeding, the notation 'confidential' and the date on which confidential treatment expires:

Provided that the following shall be marked 'confidential (search and seizure/ e-mail dumps/ call detail records *etc.*)', as the case may be, and shall be kept separately:

- (a) documents/ material obtained through search and seizure operations;
 - (b) e-mail dumps;
 - (c) call detail records; or
 - (d) any other document/ material in the nature of personal information.
- (6) The Commission may, if considered necessary or expedient, set up Confidentiality Ring(s) comprising of such authorised representatives of the parties, including, but not limited to, the authorised representatives specified under Section 35 of the Act, who would be able to access the information as mentioned in sub-regulation (5), as required, in unredacted form in terms of regulation 38 of these regulations:

Provided that the Commission, while setting up a Confidentiality Ring, may decide the extent of information to be made accessible, as well as the parties and their members to be included, in the Confidentiality Ring, as deemed appropriate, for the purpose:

Provided further that the document(s)/ material mentioned in proviso to sub-regulation (5) which have been relied upon in the confidential version of the report of the Director General, shall be made accessible to the members of the Confidentiality Ring.

- (7) (a) The party seeking access to confidential information shall make a request for setting up a Confidentiality Ring, by way of an application, at the earliest.
- (b) In case such request is made by a party post receipt of the non-confidential version of the investigation report, the same shall be made within a period of 10 (ten) days from the receipt thereof:

Provided that if the Commission is satisfied that the party was prevented by sufficient cause from making the request within the said period of 10 (ten) days, it may entertain the request made within a further period of 7 (seven) days.

- (8) Access to unredacted information in terms of sub-regulation (6) shall be provided on filing of undertakings in the form of an affidavit by the parties to be included in the Confidentiality Ring stating that the information accessed by their members pursuant to such ring, shall not be shared and/ or disclosed by them, to any other person including to any official and/ or other employee of enterprise concerned or to any official and/ or employee of any joint-venture, subsidiary, group entity of the concerned enterprise, or to any other person, whatsoever, and that they shall use such information and document(s) only for the purposes of the proceedings under the Act, and shall keep such information and documents within their sole custody, and shall destroy the same at the culmination of the present proceedings:

Provided that separate undertaking(s) on aforesaid terms in the form of an affidavit shall also be provided by each party included in the Confidentiality Ring, to the other parties in the matter, whose confidential information is being accessed by its members, and the parties shall have the liberty to avail suitable remedies as per law, in case of any breach of such undertaking(s):

Provided further that the parties concerned and their members forming part of Confidentiality Ring shall be liable to be proceeded against as per the provisions of the Act for breach of undertakings.

- (9) The parties shall file undertakings in terms of sub-regulation (8) above within a period of 10 (ten) days from the date of receipt of the order setting up Confidentiality Ring:

Provided that if the Commission is satisfied that the party was prevented by sufficient cause from filing the undertaking within the said period of 10 (ten) days, it may accept the same filed within a further period of 5 (five) days.

- (10) The Informant shall not be part of Confidentiality Ring and shall have access to non-confidential records only:

Provided that the Commission may include the Informant in the Confidentiality Ring in appropriate cases, if the inclusion of the Informant in the ring is considered necessary or expedient for effective inquiry.

- (11) (1) The parties included in the Confidentiality Ring may make application(s) seeking inspection under regulation 38 read with regulation 51 of these regulations, within a period of 7 (seven) days from the date of submission of undertaking(s).

(2) Such inspection shall be completed by the parties within a period of 21 (twenty-one) days of being allowed.

(3) The parties may make application(s) seeking grant of certified copies under regulation 38 read with regulation 51 of these regulations within a period of 7 (seven) days thereafter.

(4) On receipt of an application seeking certified copies, the same shall be supplied within a period of 14 (fourteen) days:

Provided that the Secretary may extend the time period(s) prescribed under sub-clause (2) above for a further period of 7 (seven) days but not thereafter.

- (12) (1) The Commission may, considering the facts and circumstances of a particular matter, in exceptional cases, extend the timelines prescribed under this regulation for reasons to be recorded in writing.

(2) In case the party(s) fail to adhere to the given timelines, the Commission shall continue with the proceedings in accordance with law.

- (13) If the Commission includes in any order or decision or opinion, information that has been claimed confidential under this regulation, the Commission shall make two versions of the order or decision or opinion, as the case may be. The non-confidential version which omits the confidential information that appears in the complete version, shall be served upon the parties, and shall be included in the non-confidential records. The complete version shall be placed in the confidential records as provided in sub-regulation (4) and the same shall be shared with the members of the Confidentiality Ring.

- (14) Any person or party, including any officer or employee appointed by the Commission under sub-section (1) of Section 17 of the Act or any officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of Section 16 of the Act or any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of Section 17 of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of Section 36 of the Act privy to the contents of the information or document(s) or part(s) thereof that have been claimed confidential under this regulation, shall maintain confidentiality of the same and shall not use or disclose or deal with such confidential information for any purpose other than the purposes of the Act or any other law for the time being in force:

Provided that breach of confidentiality by any officer or employee of the Commission/ Office of the Director General shall constitute a ground for initiation of disciplinary proceedings under the relevant rules or regulations, as the case may be:

Provided further that breach of confidentiality by any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of Section 17 of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of Section 36 of the Act shall be sufficient ground for termination of the engagement or contract, as the case may be.

37. Compliance of orders of Commission.

The Commission shall have power to direct the parties concerned to file an affidavit of compliance of its order or such other documents in the manner specified in its order.

38. Inspection and certified copies of documents.

- (1) Subject to the provisions of Section 57 of the Act and regulation 36 of these regulations, a party to any proceeding of an ordinary meeting of the Commission may on an application in writing in that behalf, addressed to the Secretary, be allowed to inspect or obtain copies of the documents or records submitted during proceedings on payment of fee as specified in regulation 51:

Provided further that no request for inspection or certified copies of internal documents shall be allowed.

- (2) The Commission may, on an application of a person, who is not a party to the proceedings, on sufficient cause demonstrated, allow such person inspection and/ or grant of certified copies of documents or records mentioned in sub-regulation (1) on payment of fee as specified in regulation 51.
- (3) An inspection shall be allowed only in the presence of an officer so authorized by the Secretary:

Provided that the inspection of documents or grant of certified copying thereof as per sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall be allowed under the supervision of and subject to the time limits to be specified by the Secretary or an officer authorized by him in this behalf:

Provided further that for the purposes of inspection and grant of certified copies of confidential documents, the time limits as stipulated under regulation 36 of these regulations, shall apply.

- (4) An officer of the Central or State Government or the Director General or a statutory authority shall be allowed inspection and obtain copies of documents or records mentioned in sub-regulation (1) on making written request to the Secretary for the purpose.

39. Continuation of proceedings after death of a party or adjudication of a party as insolvent.

Where a party to a proceeding in an ordinary meeting of the Commission dies or is adjudged insolvent or, in the case of a company, being wound up, the proceeding shall not abate and may be continued by or against the executor, administrator or other legal representative of the parties or by or against the assignee, receiver or liquidator, as the case may be.

40. Effect of non-compliance.

Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding, merely by reason of such failure, unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

41. Taking of evidence.

- (1) Subject to the provisions of the Act, the Commission or the Director General, as the case may be, may determine the manner in which evidence may be adduced in the proceedings before them.
- (2) Without prejudice to sub-regulation (1), the Commission or the Director General, for the purpose of inquiry or investigation, as the case may be, may –
- admit evidence taken in the form of verifiable transcripts of tape recordings, unedited versions of video recording, electronic mail, telephone records including authenticated mobile telephone records, written signed unsworn statements of individuals or signed responses to written questionnaires or interviews or comments or opinions or analyses of experts based upon market surveys or economic studies or other authoritative texts or otherwise, as material evidence;
 - admit on record every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact provided it is duly certified by a gazetted officer of the Central Government or by a State Government or a statutory authority, as the case may be or a Magistrate or a Notary appointed under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) or the Secretary of the Commission;
 - admit the entries in the books of account, including those maintained in an electronic form, regularly kept in the course of business, including entries in any public or other official book, register or record or an electronic record, made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept, as documentary evidence;
 - admit the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom a document is supposed to have been written or signed, as relevant fact to prove the handwriting of the person by whom the document was written or signed;

- (e) admit the opinion of the handwriting experts or the experts in identifying finger impressions or the persons specially skilled in interpretation of foreign law or of science or art;
 - (f) take notice of the facts of which notice can be taken by a court of law under section 52 of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 (47 of 2023);
 - (g) accept the facts, which parties to the proceedings admit or agree in writing as proved;
 - (h) presume that any document purporting to be a certified copy of any record of any authority, court or government of any country not forming part of India as genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the National Government of such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of such records, including certification by the Embassy or the High Commission of that country in India;
 - (i) admit such documents including electronic records in evidence as may be considered relevant and material for the proceedings.
- (3) Subject to the provisions of sub-regulation (2), the following sections of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 (47 of 2023), in so far as they are applicable to the matters relating to, –
- (a) section 20 - when oral admissions as to contents of documents are relevant;
 - (b) section 41(2) - opinion as to the electronic signature when relevant;
 - (c) section 63 - admissibility of electronic records;
 - (d) section 66 - proof as to electronic signature;
 - (e) section 73 - proof as to verification of digital signature;
 - (f) section 81 - presumption as to Gazettes in electronic or digital record;
 - (g) section 85 - presumption as to electronic agreements;
 - (h) section 86 - presumption as to electronic records and electronic signatures;
 - (i) section 87 - presumption as to electronic signature certificates;
 - (j) section 90 - presumption as to electronic messages;
 - (k) section 91 - presumption as to due execution *etc.*, of documents not produced;
 - (l) section 93 - presumption as to electronic records five years old;

may be applicable for the purpose of inquiry or investigation, by the Commission or the Director General, as the case may be.

- (4) The Commission or the Director General, as the case may be, may call for the parties to lead evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.
- (5) If the Commission or the Director General, as the case may be, directs evidence by a party to be led by way of oral submission, the Commission or the Director General, as the case may be, if considered necessary or expedient, may grant an opportunity to the other party or parties, as the case may be, to cross examine the person giving the evidence:

Provided that if evidence led by a party by way of oral submission is sought to be relied upon by the Director General in its investigation report against any other person or party, the Director General shall offer to the concerned person or party against whom such evidence is sought to be relied upon, an opportunity to cross examine the person giving the evidence.

- (6) The Commission or the Director General, as the case may be, may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties to be recorded by an officer or person designated for the said purpose.
- (7) The Commission may direct the parties to file written note of arguments or submissions in the matter.

42. Supporting of facts by filing of affidavit.

- (1) The Commission or the Director General, as the case may be, may at any time, for sufficient reason, order that any particular fact or facts may be supported by affidavit.
- (2) Every affidavit shall be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297 mm or 8.27" x 11.69") white bond paper in double space with 2" margin on the left and 1" margin on all other sides.

- (3) Every affidavit shall clearly state the cause or matter in which it is sworn.
- (4) Every affidavit shall be drawn up in the first person, and shall be divided into paragraphs to be numbered consecutively, and shall state the description, occupation and the true place of residence of the deponent.
- (5) Affidavits for the purposes of any cause or matter before the Commission may be sworn before any Court or Magistrate or a Notary appointed under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) or any officer or other person a High Court may appoint in this behalf or any officer appointed by any other Court which the State Government has generally or specially empowered in this behalf vide authority mentioned in section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908 (15 of 1908).
- (6) Every exhibit annexed to an affidavit shall be marked with the title and number of the cause or matter and shall be initialed and dated by the authority before whom it is sworn.
- (7) No affidavit having any interlineations, alteration or erasure shall be filed before the Commission or the Director General, as the case may be, unless the interlineations or alteration is initialed or unless in the case of an erasure the words or figures written on the erasure are re-written in the margin and initialed, by the authority before whom, the affidavit is sworn.
- (8) The Commission or the Director General, as the case may be, may refuse to receive an affidavit where in its opinion the interlineations, alterations or erasures are numerous as to make it expedient that the affidavit should be re-written.
- (9) Where a specific time is given for filing affidavits, no affidavit filed after that time shall be used except by leave of the Commission or the Director General, as the case may be.
- (10) In these regulations, 'affidavit' includes a document required to be sworn, affirmed or verified. In the verification of petitions and other proceedings, statements based on personal knowledge shall be distinguished from statement based on information and belief.
- (11) The Commission or Director General may, during the course of the proceedings, where considered necessary and expedient, in the interest of justice, relax any or all of the above provisions in this regulation.

43. Production of additional evidence before Commission.

- (1) The parties to the proceedings shall not be entitled to produce before the Commission additional evidence, either oral or documentary, which was in their possession or knowledge but was not produced before the Director General during investigation under section 26 or sub-section (1A) of section 29 of the Act, but if the Commission requires any document to be produced or any witness to be examined or any affidavit to be filed to enable it to pass orders or for any other substantial cause, or if the Director General has not given sufficient opportunity to the party to adduce evidence, the Commission, for reasons to be recorded, may allow such document to be produced or witness to be examined or affidavit to be filed or may allow such evidence to be adduced.
- (2) Such document may be produced or such witness examined or such evidence adduced either before the Commission or before such authority as the Commission may direct.
- (3) If the document is directed to be produced or witness examined or evidence adduced before any authority, he or she shall comply with the direction of the Commission and after compliance send the document, the record of the deposition of the witness or the record of the evidence adduced, to the Commission.
- (4) Additional evidence/ document shall be made available by the Commission to the parties to the proceedings other than the party adducing the evidence and they may be afforded an opportunity to rebut the contents of the said additional evidence.

44. Power of Commission to call for information etc.

- (1) The Commission may, at any time before passing orders in a proceeding, require any of the parties or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documents or other material objects as evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
- (2) The Commission or the Director General, as the case may be, may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an officer of the Commission the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant for the purpose.

- (3) The Commission or the Director General, as the case may be, may at any time, summon and enforce the attendance of any person and examine him, or cause him to be examined on oath.

45. Power of Commission or Director General to issue commissions for examination of witnesses or documents.

- (1) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (2) of section 36 and sub-section (2) of section 41 of the Act, the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may issue a commission for the examination on questionnaires or otherwise of the specified witness(es), –
- (a) residing within India;
 - (b) who is about to leave India before the date on which he or she is required to be examined as a witness;
 - (c) who, being in the service of the Central Government, a State Government or a statutory authority, cannot, in the opinion of the Commission or the Director General, as the case may be, attend without detriment to the public service;
 - (d) who is unable to attend due to sickness or infirmity;
 - (e) who resides at a place which is more than five hundred kilometres distance from the office of the Commission or the Director General, as the case may be, and whose attendance, in the opinion of the Commission or the Director General, as the case may be, cannot be procured without incurring unnecessary expense within the stipulated time;
 - (f) not being covered under any of the situations mentioned in clauses (a) to (e), if his or her evidence is considered necessary in the interest of justice.
- (2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may also issue a commission for the examination on questionnaires or otherwise of any witness residing at any place not within India if satisfied that the evidence of such witness is necessary and may issue a letter of request to the Indian High Commission or the Indian Embassy to facilitate the execution of the commission, under this regulation.
- (3) Subject to the provisions of sub-regulations (1) and (2), the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may also issue a commission for the examination of specific document(s) whether available in any place situated within or without India and whether or not held in the custody of any witness being examined on questionnaires as per sub-regulations (1) and (2).
- (4) A commission for the examination of a witness on questionnaires or otherwise or for examination of a document issued under sub-regulation (1) or (2) or (3) may be issued to any public servant within the meaning of sub-section (28) to section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or a counsel and such public servant or the counsel, as the case may be, shall be appointed as “the commissioner” only for the purposes of executing the commission.
- (5) Every public servant or the counsel, referred to in sub-regulation (4), upon receiving a commission under sub-regulation (4) shall examine the witness or the document, as the case may be, or cause the witness or the document to be examined pursuant thereto and on due execution, shall return the commission together with the evidence taken under it to the Commission or the Director General, as the case may be.
- (6) The Commission or the Director General, as the case may be, shall furnish the commissioner appointed under sub-regulation (4) with such part of record of the proceedings and such instructions as appear necessary and the instructions shall distinctly specify that the commission is restricted to finding the facts through the examination as directed and the Commissioner is merely required to transmit the record of the proceedings to the Commission on completion of the examination.
- (7) Any Commissioner appointed under this regulation may, unless otherwise directed by the order of appointment –
- (a) examine the witness himself;
 - (b) call for and examine the documents and other things relevant to the subject of inquiry.
- (8) The Commission or the Director General, as the case may be, issuing a commission under this regulation shall fix a date on or before which the commission shall be returned after execution, and the date so fixed

shall not be extended except, for reasons to be recorded, the Commission or the Director General, as the case may be, is satisfied that there is sufficient cause for extending the date.

46. Authorizing a representative to appear.

- (1) Subject to the provisions of section 35 of the Act, in any proceeding, where the pleading is also signed by an authorized representative, the party shall append a letter or vakalatnama in the manner specified authorizing the representative to appear for him or her or it, as the case may be.
- (2) The authorized representative shall not be allowed to represent the party unless such authorization letter or vakalatnama is filed before the Secretary before commencement of the ordinary meeting:

Provided that at any point of time, only one authorization letter or vakalatnama on behalf of each party shall be deemed to be valid which shall be collectively signed by all its legal representative(s) and filing of a new authorization letter or vakalatnama by any party shall be considered deemed revocation of the earlier one.

- (3) No misconduct on the part of any authorized representative, appearing for and on behalf of any party during continuance of a proceeding before the Commission as well as the Director General shall be permitted and the Commission in appropriate circumstances, for reasons to be recorded in writing, may pass necessary orders debarring the representative, guilty of misconduct, from appearing in the proceedings before the Commission and/ or the Director General in future or till such time as the Commission deems necessary.
- (4) In the event of the misconduct being committed by any counsel, the Secretary, if so directed by the Commission shall forward a complaint to this effect in writing to the Bar Council of the State of which the legal practitioner is member or the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Company Secretaries of India or the Institute of Cost and Works Accountants of India, as the case may be.

Explanation – For the purpose of this regulation, word “misconduct” shall include causing prejudice to or interfering with or attempting to interfere with, the due process of any proceeding or obstructing or attempting to obstruct, the compliance or execution of any order or direction of the Commission, in any manner, or using defamatory language or behaving defiantly or attempting to undermine or undermining the prestige of any Member or Officer of the Commission in any manner whatsoever.

47. Authorizing an Advocate to accompany any person summoned by the Director General.

An Advocate may accompany any person summoned by the Director General to appear before him, subject to the following conditions, namely –

- (a) The Advocate shall not be allowed to accompany such person, unless a request in writing accompanied by an authorisation letter or vakalatnama is duly submitted to the Director General, prior to commencement of the proceedings.
- (b) The Advocate shall not sit in front of the person so summoned.
- (c) The Advocate shall not be at a hearing distance and shall not interact, consult, confer or in any manner communicate with the person, during his examination on oath.

48. Proceedings before Commission not to be open to public.

Except where the Commission may so direct, for reasons to be recorded, the proceedings before the Commission, during an ordinary meeting, shall not be open to public. In taking the decision to open the proceedings to public, the Commission may take into account all or any of the following matters namely: –

- (a) whether disclosure to public does not cause significant harm to a party;
- (b) degree of inhibition or encouragement in providing information in public;
- (c) efficient and proper conduct of proceeding;
- (d) resources of the Commission.

49. Procedure for imposition of penalty under the Act.

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any regulations framed under the Act, no order or direction imposing a penalty under Chapter VI of the Act shall be made unless the person or the enterprise or a party to the proceeding, during an ordinary meeting of the Commission, has been given a show cause notice and reasonable opportunity to represent his case before the Commission.

- (2) In case of persons proceeded against in terms of section 48 of the Act, forwarding of the investigation report and/ or the supplementary investigation report or issue of show-cause notice under sub-regulation (8) of regulation 22 of these regulations, as the case may be, to such persons, shall be deemed to be the show cause notice in terms of sub-regulation (1) above.
- (3) In case the Commission decides to issue show cause notice to any person or enterprise or a party to the proceedings, as the case may be, under sub- regulation (1), the Secretary shall issue a show cause notice giving not less than 15 (fifteen) days asking for submission of the explanation in writing within the period stipulated in the notice.
- (4) The Commission shall, on receipt of the explanation, and after oral hearing if granted, proceed to decide the matter of imposition of penalty on the facts and circumstances of the case.

50. Fee under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act.

- (1) Each information received under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act from any person shall be accompanied by proof of having paid the fee as under, -
 - (a) rupees 6,000 (six thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or
 - (b) rupees 12,000 (twelve thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or
 - (c) rupees 50,000 (fifty thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year upto rupees two crore, or
 - (d) rupees 1,25,000 (one lac twenty-five thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and upto rupees 50 crore, or
 - (e) rupees 6,00,000 (six lacs) in the cases not covered under clause (a) or (b) or (c) or (d).
- (2) Each Interlocutory Application received under sub-regulation (6) of regulation 16 shall be accompanied by proof of having paid the fee as under, -
 - (a) Rupees 500 (five hundred) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or
 - (b) Rupees 1,000 (one thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or Co-operative Society, or Trust or
 - (c) Rupees 1,000 (one thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year upto rupees two crore, or
 - (d) Rupees 5,000 (five thousand) in all other cases.
- (3) Each Miscellaneous Application received under sub-regulation (6) of regulation 16 shall be accompanied by proof of having paid the fee as under, -
 - (a) rupees 3,000 (three thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or
 - (b) rupees 6,000 (six thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or
 - (c) rupees 25,000 (twenty-five thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year upto rupees two crore, or
 - (d) rupees 60,000 (sixty thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and upto rupees 50 crore, or
 - (e) rupees 3,00,000 (three lacs) in the cases not covered under clause (a) or (b) or (c) or (d).
- (4) The fee may be increased or decreased on the basis of annual notification of Cost Inflation Index by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance by an order of the Commission.
- (5) The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with "Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066".

51. Inspection and copying fees.

- (1) A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be specified, on payment of rupees two thousand five hundred per day per case.
- (2) Fees for supplying certified copies shall be rupees twenty per page.

52. Empanelment of special counsel by Commission.

- (1) The Commission may draw up a panel of legal practitioners or chartered accountants or company secretaries or cost accountants to assist in proceedings before the National Company Law Appellate Tribunal referred to in section 53A of the Act or any other quasi-judicial body or Court.
- (2) The Director General may call upon the legal practitioners or chartered accountants or company secretaries or cost accountants from the panel for assistance in the proceedings before the Commission, if so required.
- (3) The remuneration payable and other allowances and compensation admissible to counsel shall be specified in consultation with the Commission.

53. Inviting experts of eminence to assist Commission.

Without prejudice to sub-section (3) of section 36 of the Act, or guidelines issued thereunder, the Commission may invite experts of eminence to assist the Commission in discharging of its functions under the Act on such terms and conditions and at such times as may be decided by the Commission:

Provided that the Commission shall have absolute discretion as regards the evaluation of expertise or eminence of those invited to assist the Commission.

54. Implementation and monitoring of orders passed by the Commission.

- (1) Where the Commission is of the opinion that the implementation of its orders passed under Section 31 or Section 48A or Section 48B or any other provisions of the Act and regulations made thereunder, needs monitoring, it may appoint agencies to oversee such implementation, on such terms and conditions as deemed fit by the Commission.
- (2) The agencies appointed under sub-regulation (1) shall be independent of the parties to the proceedings in the matter, and shall confirm that they do not have any conflict of interest with the said parties.
- (3) Such agencies referred to in this regulation may include an accounting firm, management consultancy, any other professional organisation or chartered accountants/ company secretaries/ cost accountants.
- (4) The agencies appointed under sub-regulation (1) shall carry out the responsibilities as specified by the Commission from time to time, *inter alia*, including:
 - (a) monitoring the implementation of the orders of the Commission in accordance with its terms of engagement;
 - (b) informing the Commission of any non-implementation or non-compliance of such orders;
 - (c) adequately disclosing any direct or indirect pecuniary or non-pecuniary interest that is likely to prejudice performance of its duties under the terms of its engagement;
 - (d) submit reports related to monitoring of the implementation of the orders of the Commission, at such periodic intervals as directed by the Commission;
 - (e) maintaining highest standards of confidentiality in respect of information received or collected during the discharge of its obligations; and
 - (f) performing such other duties as stipulated under the terms of its engagement or directed by the Commission.
- (5) The Commission may, suspend or terminate the engagement of agencies appointed under sub-regulation (1) in such manner as may be determined by terms of its engagement:

Provided that notwithstanding anything contained in the terms of engagement, the Commission may, if it deems necessary, revoke the engagement, for reasons to be recorded in writing and such revocation shall not be questioned in any court of law or otherwise.

- (6) The payment to the agencies appointed under sub-regulation (1) shall be made by the person who has filed an application under regulation 3 of the Competition Commission of India (Settlement) Regulations, 2024 or regulation 3 of the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024 or who

has filed a notice under regulation 9 of the Competition Commission of India (Combinations) Regulations, 2024 or in any other case, by any other person as directed by the Commission, as the case may be, by depositing it with the Commission or as may be directed by the Commission, subject to satisfactory discharge of responsibilities by the agencies.

55. Publication.

- (1) The Commission may cause publication of a brief summary or the full text of its orders or decisions in the media, if it so desires in the interest of public, but shall have regard to the business secrets of the persons concerned and may direct deletion of such portions of the orders or decisions as it deems fit.
- (2) All orders or decisions made by the Commission under sub-section (2) or sub-section (2A) or sub-section (6) or sub-section (9) of section 26 of the Act directing the closure of the matter, or under section 27 or section 28 or section 31 or section 33 or section 42 of the Act, as the case may be, shall be published on the website of the Commission.
- (3) It shall be the duty of the Secretary to publish the orders or decisions referred to in this regulation.

56. Removal of difficulty.

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the decision of the Commission thereon shall be binding.

57. Repeal and Savings.

- (1) The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, stand repealed from the date on which these regulations come into force.
- (2) Notwithstanding such repeal, –
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or any proceedings or decision, inquiry or investigation commenced under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;
 - (b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder, or any investigation, legal proceeding or remedy ensued thereunder, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed;
 - (c) after the repeal of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, any reference thereto including in any regulations, direction or decision issued by the Commission, shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

INDER PAL SINGH BINDRA, Secy
[ADVT.-III/4/Ext./947/2024-25]

ANNEXURE

(See regulation 4)

1. Seal



2. Emblem

